मध्यप्रदेश के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार संशोधित

सरल राज्य-शासन

(भाग २)

मध्यप्रदेश के मिडिल स्कूलों की

सातवीं कक्षा के लिए

लेखक—

साहित्य-शास्त्री, पंडित नर्म्मदाप्रसाद मिश्र, बी० ए०,

भू० पू० एम० एल० ए०

द्वादश संस्करण, सितम्बर १९५०

मुद्रक— शुभचिन्तक प्रेस, जबलपुर

मूल्य ग्यारह आने

* दो शब्द *

स्वर्गीय पंडित नर्म्मदाप्रसाद जी मिश्र द्वारा लिखित सरल राज्य शासन भाग २ का यह द्वादश संस्करण आपके हाथ में है। नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर पुस्तक में यथोचित परिवर्तन कर दिए गए हैं। हमारा विश्वास है कि पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

जन्माष्टमी १९५०]

मिश्र - बन्धु - कार्यालय,
जबलपुर।

* अनुक्रमणिका *

खण्ड—१ पृष्ठाङ्क

राज्य और नागरिक

खण्ड—२

सरकार के रक्षा सम्बन्धी कर्तव्य

खण्ड-३

पृष्ठाङ्क

खण्ड-४

खण्ड-५

खण्ड—१

राज्य और नागरिक

पाठ १

राज्य की उत्पत्ति

बालको, तुम अपने घर में अपने माता-पिता, भाई बहिन, आदि के साथ रहते हो। यदि तुमसे कहा जावे कि तुम अकेले रहो और किसी भी मनुष्य से कोई संबंध न रखो या दूसरों की बनाई हुई किसी भी चीज़ का उपयोग न करो, तो क्या तुम ऐसा कर सकोगे ? यदि तुम ऐसा करना चाहोगे, तो तुम्हें जङ्गल में जाकर झाड़ के नीचे या पहाड़ की गुफा में रहना पड़ेगा। झरने या नदी का पानी पीकर प्यास बुझानी पड़ेगी और कन्द-मूल-फल खाकर भूख मिटानी पड़ेगी। इस तरह तुम शायद एक-दो दिन तो काट लोगे; पर अधिक समय तक न रह सकोगे। ठंड से बचने के लिए तुम्हें कपड़ों की जरूरत होगी और जङ्गली जानवरों से बचाव करने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए लोग जंगल में अकेले न रहकर, गाँव या शहर में मिल-जुलकर रहते हैं।

शहर या गाँव में हम अपने माता-पिता और भाई-बंधुओं के साथ रहते हैं। अब ज़रा सोचो कि हम जिस प्रकार रहते हैं उस प्रकार रहने के लिए हमें किन-किनका सहारा लेना पड़ता है। हम जो अन्न खाते हैं उसे हमारे पिता या तो खेती करके पैदा करते हैं या कोई नौकरी करके पैसा कमाते और उस पैसे से

मोल लाते हैं। फिर जो अनाज आता है उसे हमारी माँ-बहिनें तैयार करके भोजन बनातीं हैं। कपड़ों को दर्ज़ी तैयार करता है और धोबी उन्हें धोता है। स्कूल में हमें गुरुजी पढ़ाते हैं और शाम को हम अपने पड़ोसियों या दूसरे मित्रों के साथ खेलते हैं एक रात को हमारे घर में चोरी हो गई थी, तब पुलिसवालों ने आकर उसका पता लगाया था। इस प्रकार हम अपने माता-पिता के साथ रहते, पड़ोसियों के साथ खेलते और पुलिस वालों के द्वारा चोरों आदि से अपना बचाव करते हैं। इस तरह कई लोगों का सहारा लेकर हम अपना काम चलाते हैं। यदि यह सहारा न मिले, तो एक दिन काटना भी कठिन हो जावे। मनुष्यों के इस संगठित समूह का ही नाम समाज है।

मनुष्य समाज में रहता है। पशु-पक्षी तो पैदा होते ही अपने हाथ-पाँव चलाने लगते हैं और थोड़े ही दिनों में अपने मा-बाप से अलग होकर अपना काम आप करने लगते हैं। पर, मनुष्य का यह हाल नहीं है। वह जब पैदा होता है तब बिल्कुल असहाय रहता है। न वह बोल सकता, न बैठ सकता और न चल-फिर ही सकता है। उसे डग-डग पर अपनी मा के सहारे की जरूरत होती है। मा उसे दूध पिलाकर पुष्ट करती और उसको सार-सँभाल करती है। इस प्रकार मनुष्य समाज में पैदा होता और समाज में ही रहकर बढ़ता है।

ज्यों-ज्यों मनुष्य बड़ा होता है त्यों-त्यों उसकी आवश्यकताएँ भी बढ़ती जाती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उसे

अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

पहले मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता था और परिवार के सब लोग मिलकर खेती-किसानी करके अपना निर्वाह करते थे। परिवार का पुरखा ही उसका मुखिया होता था और सब लोग उसकी आज्ञा मानते थे। कुछ समय के बाद कई परिवार के लोग मिलकर रहने लगे। इसे कबीला (tribe) कहते हैं। सीमा-प्रान्त में तथा कई जङ्गलों में इस प्रकार के कबीले अब भी रहते हैं। उनमें जो सबसे अधिक बलवान् होता है वही मुखिया चुना जाता है, जिसकी बात मानकर सब लोग चलते हैं। आपस के झगड़ों को वही निपटाता और युद्ध के समय वही सेनापति का काम करता है। पुराने समय में ये कबीले अपना सामान साथ लिये हुए घूमा करते थे तथा जहाँ शिकार का सुभीता देखते थे वहीं कुछ समय ठहर जाते थे। फिर वे खेती के योग्य अच्छी जमीन और पानी का सुभीता देखकर एक स्थान में बसने लगे। इस प्रकार गाँव (ग्राम) की उत्पत्ति हुई। कुछ समय में बहुत-से गाँव बस गये, और प्रत्येक गाँव अपना-अपना प्रबन्ध आप करने लगा। कभी-कभी गाँवों के बीच आपस में झगड़े होने लगे, तथा जो गाँव बलवान् होता वह दूसरे गाँव को जीत लेता। इस प्रकार कई गाँवों के समूह मिलकर राज्य बनने लगे। इन राज्यों (States) का मुखिया राजा कहलाया और वह नियम आदि बनाकर अपने राज्य का शासन करने लगा। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई।

पाठ २

राज्य की रचना और संगठन

बालको ! पिछले पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार मनुष्य से परिवार, परिवारों से कबीले, कबीलों से जाति, जातियों से गाँव और गाँवों के समूह से 'राज्य' की उत्पत्ति हुई। मनुष्य ने धीरे-धीरे किस प्रकार अपनी उन्नति की इस बात को जानने के लिये अब हम 'राज्य की रचना और संगठन' के विषय में विचार करेंगे। पहिले हम उन बातों पर विचार करेंगे जो राज्य की रचना और संगठन में प्राथमिक रूप से सहायक सिद्ध हुई हैं तथा बाद में राज्य की रचना के लिये आवश्यक बातों पर विचार करेंगे।

'राज्य' की रचना में प्राथमिक सहायक बातें:—

(१) रक्त-संबंध:—हम अपने माता, पिता, भाई और अन्य घनिष्ट संबंधियों को दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक चाहते हैं क्योंकि वे हमारे परिवार के रहते हैं और उनके साथ हमारा अधिक समय व्यतीत होता है तथा इस प्रकार उनके साथ हमारा गहरा संबंध होता जाता है। इस संबंध को गहरा बनाने में हमारे रक्त का प्रभाव रहता है। हमारे संबंधियों को आपत्ति के समय सहायता करने के लिये हमारे एक ही रक्त का संबंध असर डालता है और इस प्रकार

'रक्त-संबंध' से एकता स्थापित होती है। 'कुटुम्ब' से जाति ग्राम, राज्य आदि बनने में 'रक्त-संबंध' ने हमारी एकता में बड़ी सहायता पहुँचाई है।

(२) समान भाषा और धर्मः—इसी प्रकार समान-भाषा बोलने वाले और एक ही धर्म मानने वालों में भी परस्पर प्रेम भाव बढ़ जाता है। बालको, तुमने देखा होगा कि हमारे प्रांत में बाहर के प्रांतों के एक सी भाषा बोलने वालों का एक समूह सा बन जाता है और उनमें हम लोग काफी एकता देखते हैं—जैसे बंगाली, मराठा, मद्रासी आदि। इसी प्रकार एक ही धर्म मानने वालों में भी एकता स्थापित हो जाती है। इस तरह समान-भाषा और धर्म ने भी राज्य की रचना में प्राथमिक सहायता पहुँचाई है।

(३) राजनैतिक भावनाः—भाषा और धर्म के सिवाय हमारे राजनैतिक भावों की उत्पत्ति भी हमारी एकता में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। बालको! जब हम अपना राज्य स्वयं चलाना चाहते हैं, हमारे देश को बाहरी और भीतरी शत्रुओं से रक्षा करना चाहते हैं, उस समय हमारे मन में, हम सबके समान-भावों, समान-हितों और समान-अधिकारों की रक्षा करने का भाव रहता है। यही हमारी राष्ट्रीय भावना की (हमारी राज-नैतिक भावना की) उत्पत्ति है। अपने समान-हितों को पूरा करने के लिये, हम सब एक हो जाते हैं। यह एकता की भावना 'राज्य की रचना' में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है।

अब हम यह देखेंगे कि राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं और उसकी 'रचना और संगठन' में कौन-कौन सी बातें आवश्यक हैं।

राज्य की परिभाषाः—साधारणतः समाज का बड़े से बड़ा और संगठित रूप ही राज्य कहा जा सकता है। राजनीति के प्रसिद्ध विद्वानों के 'राज्य की परिभाषा' के लिये भिन्न-भिन्न मत हैं। राजनीति के विद्वान् 'प्रोफेसर लास्की' का कथन है कि " 'राज्य' की सार्थकता उसके उच्च उद्देशों और कार्यों में है नाकि उसकी शक्ति में। " अरस्तू का भी कथन है "कि 'राज्य' एक ऐसी सर्वोपरि सत्ताधारी संस्था है जो समाज में मनुष्य के लिये जीवन को सरलता-पूर्वक बिताना संभव बनाये रखे।" परन्तु आधुनिक समय में प्रसिद्ध और अधिकांश विद्वानों का मत निम्नलिखित परिभाषा में शामिल है:—"राजनीति तथा 'विधान' के नियमों का ध्यान रखते हुए 'राज्य' ऐसे 'जन-समूहों' की एक संस्था है जो पृथ्वी के एक निश्चित भाग पर स्थायी रूप से रहने वाले हैं, जो स्वतंत्र तथा बाहिरी नियंत्रण से मुक्त हों, तथा जिनकी ऐसी सुदृढ़ और सुसंगठित 'सरकार' हो जिसकी आज्ञा, उन समूहों के अधिक से अधिक मनुष्य मानते हों।"

राज्य की रचना के लिये आवश्यक बातें:—

यदि उपरोक्त परिभाषा पर ध्यान दिया जाय तो ज्ञात होगा कि राज्य की रचना के लिये निम्न-लिखित मुख्य चार

बातें होना आवश्यक हैं। जिस निश्चित भू-भाग की सीमा के अन्तर्गत निम्न-लिखित चारों बातें पाई जाती हैं, उसे राज्य कहते हैं:—

(१) जन-समूह या जनता।

(२) निश्चित-भूमि।

(३) सु-संगठित सरकार।

(४) सत्ता।

अब हम उपरोक्त चारों बातों पर विस्तृतरूप से विचार करेंगे:—

(१) जन-समूह या जनता:—प्रत्येक राज्य में 'जन-समूह' 'जनता' या 'जन-संख्या' का होना आवश्यक है। 'जन-संख्या' राज्य का प्रथम आवश्यक अंग है। बिना 'जन-संख्या के राज्य का निर्माण ही असंभव है। किसी भी 'राज्य' में 'जन-संख्या' कम हो या अधिक--वह 'राज्य' कहा जा सकता है। परन्तु कम से कम इतनी जन-संख्या अवश्य होनी चाहिये कि सुविधा-पूर्वक शासन कार्य संचालित किया जा सके। प्राचीन रोम में थोड़े ही जन-समूहों से 'नगर-राज्यों' (City-states) का निर्माण हो जाता था परन्तु आधुनिक विज्ञान के युग में आवागमन तथा उन्नति के साधनों द्वारा बड़े जन-समूह के राज्यों का निर्माण संभव हो गया है।

(२) **निश्चित भूमिः**—बालको ! तुमने बाजार में कैंची, छुरी, चाकू बेचने वाले बलोची जाति के व्यक्तियों को देखा होगा। ये लोग स्थान-स्थान पर अपने डेरों-समेत घूमते रहते हैं। ये लोग संख्या में भी काफी रहते हैं, इनका मुखिया भी रहता है, इनमें संगठन और अनुशासन भी रहता है। क्या इनका निवास-स्थान 'राज्य' कहा जा सकता है? उत्तर होगा 'नहीं', क्योंकि ये लोग एक निश्चित भू-भाग पर नहीं रहते। हमेशा इधर-उधर अपनी जीविका के लिये भ्रमण करते रहते हैं। इसलिये 'राज्य' के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि कोई भी 'जन-समूह' स्थायी रूप से एक 'निश्चित-भूभाग' पर अधिकार जमाकर रहे।

(३) **सुसंगठित सरकारः**—'राज्य' की रचना के लिये तीसरा आवश्यक अंग उसकी 'सुसंगठित सरकार' है। 'जन-संख्या और 'निश्चित भू-भाग' के अतिरिक्त 'राज्य' में एक 'सुसंगठित सरकार' का होना अत्यन्त आवश्यक है। 'सरकार' एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा 'राज्य' के सारे कार्य योग्यरूप से संचालित होते हैं। यदि यंत्र अच्छा न हो तो कार्य-संचालन कठिन हो जाता है, उसी तरह 'सरकार' का सुसंगठित होना भी बहुत आवश्यक है। 'सुसगठित सरकार' वही है जो 'राज्य' के मनुष्यों के 'समान-हित' और 'समान-कार्यों' को नियम-पूर्वक पूर्ण करे। प्रसिद्ध विद्वान् 'बर्क' का कथन है कि " 'सरकार' मनुष्य की चतुराई के फलस्वरूप 'राज्य' के मनुष्यों

की इच्छा-पूर्ति का उत्तम साधन है"।

(४) सत्ता:—'राज्य' की रचना में अन्तिम तथा सबसे महत्वपूर्ण अंग 'सत्ता' है। बालको! तुम्हारी कक्षा में अनुशासन रखने के लिये 'शिक्षक' की अनुपस्थिति में कप्तान को अधिकार दिया जाता है और तुम सब उसकी बात मानते हो, क्योंकि उसे 'अधिकार' मिला है। इसी प्रकार 'राज्य' में 'सरकार' को यदि 'सत्ता' या अधिकार प्राप्त न हो तो वह 'राज्य' नहीं कहा जा सकता। हम जानते हैं कि भारत सन् १९४७ के पूर्व परतंत्र था, उस पर अंग्रेजों का अधिकार था इसलिये 'बड़ी जन संख्या' 'निश्चित भू-भाग' तथा 'सरकार' के होते हुए भी बिना अपनी 'सत्ता' के वह 'राज्य' नहीं कहा जाता था। परन्तु स्वतंत्र होने के बाद उसे 'सत्ता' भी प्राप्त हो गई, इसलिये अब उसकी गणना 'राज्यों' में है। 'सत्ता' का अर्थ है 'पूरी-स्वतंत्रता' और वह हमें प्राप्त है। पूरी स्वतंत्रता तभी कही जा सकती हैं जबकि 'राज्य' भीतरी और बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहता है। 'राज्य' के सर्वोपरि अधिकार को ही उसकी 'सत्ता' कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान 'बाडिन' का कथन है कि—" 'सत्ता' से युक्त 'राज्य' ही 'राज्य' कहा जा सकता है क्योंकि 'राज्य' उसके रहने वाले सब मनुष्यों को आदेश देता है, परन्तु उसे कोई भी आदेश नहीं दे सकता।"

पाठ ३

नागरिक और उसके अधिकार

नागरिक का अर्थ—साधारण बोलचाल की भाषा में 'नागरिक' (Citigen) शब्द का अर्थ 'नगर का निवासी' है; परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से उन सब लोगों को जो किसी राज्य (State) में रहते हों तथा राज के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए अपने राज के शासन-प्रबंध में भाग ले सकते हों 'नागरिक' कहते हैं। इस व्याख्या के अनुसार किसी छोटे से गाँव में रहनेवाला मनुष्य भी उसी प्रकार 'नागरिक' है जिस प्रकार किसी बड़े गाँव में रहनेवाला। 'नागरिक' को 'प्रजा' भी कह सकते हैं। 'नागरिक' होने के लिए धर्म, जाति, वर्ण आदि की भिन्नता बाधक नहीं हो सकती। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि जो किसी राज में रहते हों और जिन्हें अपने देश या राज के शासन-प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार होवे उस देश के 'नागरिक' हैं।

नागरिक के गुण

प्रत्येक नागरिक जन्म से ही अपने साथ कुछ अधिकार लेकर संसार में आता है। ये अधिकार उसे राज के द्वारा ही मिलते हैं।

प्रत्येक नागरिक को मुख्य दो प्रकार के अधिकार प्राप्त रहते हैं—(१) मुल्की अधिकार (२) राजनैतिक अधिकार। मुल्की अधिकार—ये वे 'अधिकार' हैं जिनसे 'नागरिक' के सामाजिक जीवन और संपत्ति की रक्षा होती है।

मुख्य मुल्की अधिकार निम्न लिखित हैं:—

(१) जीवन की रक्षा:—बालको! तुम यह बात अच्छी तरह समझते हो कि छोटे से छोटे प्राणी को भी अपनी जान बहुत प्यारी होती है। छोटे प्राणी भी अपनी जान बचाने का प्रयत्न करते हैं, फिर मनुष्य तो सर्व-श्रेष्ठ प्राणी है और इसीलिये उसकी जान की भी बड़ी कीमत है। मनुष्य की आवश्यकता स्वयं के लिये तो है ही परन्तु उसकी आवश्यकता समाज और राज्य के लिये भी होती है। प्रत्येक 'नागरिक' को भीतरी तथा बाहरी शत्रुओं से अपनी आत्म-रक्षा का अधिकार 'राज्य' से प्राप्त रहता है। 'नियमों के अनुसार अपनी तथा आश्रितों की रक्षा के लिये उसे शस्त्र रखने के अधिकार भी रहते हैं तथा अपनी आत्म-रक्षा के लिये वह दूसरों पर आक्रमण भी कर सकता है।

(२) संपत्ति की रक्षा:—जिस प्रकार 'नागरिक' को 'आत्म-रक्षा' का अधिकार प्राप्त है, उसी तरह अपनी संपत्ति या माल की रक्षा का भी उसे अधिकार प्राप्त रहता है। बालको! जब तुम कभी अपने हाथ से पतंग बनाते हो तब उसे उड़ाने का आनंद भी तुम्हीं उठाना चाहते हो, क्योंकि उस पतंग पर

तुम्हारा अधिकार है। इसी तरह 'नागरिक' को भी अपने द्वारा पैदा किये हुए धन तथा अपने बाप दादों से मिले हुए धन का उपयोग करने का अधिकार रहता है। हमारा घर, हमारा किला है। कोई भी बाहरी शत्रु उस पर आक्रमण करे तो 'राज्य' की 'सरकार' हमारे इस अधिकार की रक्षा करती है तथा आक्रमण करने वाले को दंड देती है तथा हमारी संपत्ति की भी रक्षा करती है।

(३) धार्मिक स्वतंत्रताः—मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में बहुत से मनुष्यों को जबर्दस्ती मुसलमान बनाया गया। उसके पहले भी मुसलमान आक्रमण-कारियों ने अपने धर्म का प्रचार बल पूर्वक किया—यह अन्याय है। एक अच्छे संगठित राज्य के 'नागरिक' को किसी भी धर्म के मानने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। बलपूर्वक हमें कोई भी दूसरा धर्म मानने के लिये विवश नहीं कर सकता। साथ-साथ हमारे धार्मिक विश्वास के कारण किसी अन्य मनुष्य को 'राज्य' की ओर से सताया भी नहीं जाना चाहिये। धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचार को 'सरकार' बंद कर सकती है और कानून द्वारा ऐसी कुप्रथाएं—जैसे नरबलि, शिशु-हत्या, सती-दाह, बाल-विवाह आदि बंद भी की जा चुकी हैं।

(४) स्वतंत्र गति का अधिकारः—मनुष्य यात्रा के लिये या मनोरंजन के लिये अथवा धन कमाने के हेतु अपने देश के या विदेश के किसी भाग में आ-जा सकता है। उसकी

रक्षा के प्रबंध की जिम्मेदारी 'सरकार' पर रहती है और सरकार कानून की सीमा के अंदर रहने पर उसकी रक्षा की जिम्मेदार रहती है।

(५) व्यापार, उद्योग-धंधे और ठेके का अधिकारः--कोई भी 'नागरिक' किसी भी प्रकार का व्यापार, उद्योग तथा ठेके आदि का कार्य करने के लिये स्वतंत्र है, परन्तु उसके इस कार्य से सार्वजनिक हानि नहीं होनी चाहिये। कई व्यक्ति चोरी से शराब बनाते हैं, अफीम बेचते हैं, काला बाजार चलाते हैं, चोरी का माल खपाते हैं, जिससे कि सार्वजनिक हानि होती है; 'सरकार' ऐसे व्यक्तियों को कानून भंग करने वाला मानकर उन्हें दंड देती है।

(६) विचार तथा भाषण की स्वतंत्रता--प्रत्येक 'नागरिक' को अपने विचार प्रगट करने की तथा भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, परन्तु उसके विचार तथा भाषण से किसी व्यक्ति या समाज की मान-हानि न होनी चाहिये तथा सार्वजनिक शांति भी भंग न होनी चाहिये।

(७) लेखन तथा प्रकाशन करने का अधिकार--मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रगट करता है। जिस प्रकार उसे भाषण स्वतंत्रता प्राप्त उ सी तरह लिखकर छापने का या प्रकाशित कराने का भी अधिकार प्राप्त है; परन्तु उसके प्रकाशन

से सार्वजनिक शांति भंग न हो तथा किसी व्यक्ति या समाज का अपमान न हो।

(८) सभा, गोष्ठी करने का अधिकारः—'नागरिकों' को शांतिपूर्वक किसी स्थान पर एकत्र होकर विचार करने का अधिकार रहता है। भाषण देना, विचार प्रगट करना तथा आपस में सलाह करने के लिये 'सभा' या गोष्ठी बनाना आवश्यक रहता है और हरएक स्वतंत्र सुगठित 'राज्य' में 'नागरिकों' को यह अधिकार प्राप्त रहता है।

(९) न्याय के समक्ष समानता का अधिकार :—
बालको! यदि तुम्हारी कक्षा में कोई विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी को मार देता है या उसकी कोई वस्तु चुरा लेता है, तो तुम्हारे शिक्षक न्याय-पूर्वक उस अपराधी विद्यार्थी को दड देते हैं—चाहे वह विद्यार्थी गरीब हो या अमीर, बड़ा हो या छोटा। इसी प्रकार 'राज्य' में भी न्याय की दृष्टि में, धनी-निर्धन, बड़े-छोटे, काले-गोरे, अफसर-चपरासी, सब बराबर हैं। न्याय करना 'राज्य' का बड़ा अधिकार है और प्रत्येक 'नागरिक' का यह अधिकार है कि उसे पक्षपात-रहित न्याय मिले।

(१०) शिक्षा-प्राप्ति और कार्य करने का अधिकार—
प्रत्येक 'नागरिक' को 'शिक्षा' पाने का अधिकार है 'राज्य' का कर्तव्य है कि 'नागरिक' को इतनी शिक्षा अवश्य दे। जिससे कि वह छोटे-छोटे कार्यों के लिये दूसरों का मुँह न ताके। हमारा देश शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, इसीलिये सरकार

ने अपने देश में 'समाज-शिक्षा' की योजना चालू की है जिसके द्वारा अधिक से अधिक अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित किया जा रहा है।

शिक्षा के साथ-साथ प्रत्येक 'नागरिक' को काम करने का अधिकार प्राप्त रहता है। जिसका अर्थ यह है कि 'सरकार' बेकारों को काम दे और उचित मजदूरी दे। इसीलिये सरकार ने भिन्न-भिन्न बड़े शहरों में, *'नौकरी दिलवानेवाले केंद्र'* (Employment exchange) खोल रखे हैं। हमारे देश में यह अधिकार अभी स्वीकृत नहीं हुआ है।

(११) उपरोक्त अधिकारों के सिवाय 'नागरिक' को अपनी इच्छा के अनुसार 'विवाह का अधिकार', कौटुम्बिक-अधिकार', 'भाषा और लिपि का अधिकार' और 'डाक', 'टेलीफोन' तथा 'तार' द्वारा गुप्त-रूप से समाचार भेजना आदि अधिकार प्राप्त हैं।

(२) राजनैतिक अधिकारः—राजनैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिसके द्वारा 'नागरिक' 'राज्य' के शासन में भाग ले सकता है। ये निम्नलिखित हैं :—

(१) *मताधिकार* :—प्रत्येक 'नागरिक' शासन में भाग ले सकता है और उसे अपना 'मत' (वोट) देने का अधिकार है। 'राज्य' के प्रतिनिधियों का चुनाव अधिकांश 'मतों' द्वारा ही होता है। प्रत्येक वयस्क अथवा प्रौढ़ 'नागरिक' को यह अधिकार

प्राप्त रहता है। मत-दान के विषय में तुम अन्यत्र इसी पुस्तक में पढ़ोगे।

(२) *पदाधिकार*;—प्रत्येक 'नागरिक' अपनी योग्यता के अनुसार राज्य के किसी भी पद के पाने का अधिकारी है। उसके इस अधिकार में जाति-पाँति, ऊँच-नीच, धर्म आदि के भेद पर ध्यान नहीं दिया जाता। साथ-साथ वह शासन के कार्यों की आलोचना भी कर सकता है।

(३) *आवेदन करने का अधिकार* :—प्रत्येक 'नागरिक' को अपनी शिकायतें लिखकर, उचित अधिकारी को देने का अधिकार है। ऐसा आवेदन-पत्र एक व्यक्ति दे या कई व्यक्ति सामूहिक रूप से भी दे सकते हैं।

पाठ ४

सरकार की आवश्यकता और उसका कर्त्तव्य

पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि प्रत्येक राज्य में शासन-प्रबन्ध चलाने के लिए एक सरकार का होना आवश्यक है।

सरकार किसे कहते हैं:—बालको, जब कभी तुम अपने स्कूल में मास्टर साहब के पहुँचने के पहले जाते हो, तब तुम क्या देखते हो? लड़के आपस में लड़ते-झगड़ते हैं। कोई किसीकी पुस्तक छुड़ा लेता है, तो कोई किसी के सिर पर चपत जमाकर भाग जाता है। इस प्रकार न जाने कितने उपद्रव होते हैं। इन्हें कोई नहीं रोक सकता। जो लड़का सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उससे सब लड़के डरते हैं और जो कमजोर होता है उसे सभी सताते हैं। पर, ज्यों ही स्कूल में मास्टर साहब आ जाते हैं त्योंही स्कूल भर में सन्नाटा छा जाता है। सब लड़के अपनी-अपनी जगह में बैठ जाते हैं और अपना-अपना पाठ याद करने लगते हैं। यदि तुम्हें कोई लड़का सताता है तो तुम उसकी शिकायत अपने मास्टर साहब से करते हो और वे उसे दण्ड देते हैं। यदि कोई लड़का तुम्हारी किताब चुरा लेता है, तो मास्टर साहब उसका पता लगाते हैं। अब बताओ कि मास्टर साहब से सब लड़के क्यों डरते हैं? वे इसलिये डरते हैं कि मास्टर साहब अपराधियों को दण्ड देते हैं। यदि दण्ड का भय न रहता, तो सब लड़के मनमानी करते और पढ़ने-

परकोटा और मकान

लिखने का काम बिलकुल ही न चलने पाता। इससे मालूम हुआ कि स्कूल का काम ठीक रीति से चलते रहने के लिये मास्टर साहब की बड़ी जरूरत है।

इसी तरह मनुष्यों को भूमि, खाद्य पदार्थ, वस्त्र और अन्य आवश्यक सामान की रक्षा की समस्या रही है। इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये उसे दूसरों से संघर्ष करना पड़ता है। किसी समय "जिसकी लाठी उसी की भैंस" की कहावत बहुत कुछ चलती थी। जो बलवान होता था उसीका दबाव सब कोई मानते थे। चोरों और लुटेरों की बन आई थी। वे रास्ता चलने वालों को लूट लेते और गाँवों में जाकर घर-द्वार जला देते और जो कुछ माल वहाँ मिलता उसे हथियाकर भाग जाते थे। इन चोर लुटेरों के डर से लोग अपने गाँव के आस-पास परकोटा या बाड़ी बनाकर रहते और पारी-पारी से अपने गाँव की रखवाली करते थे। गाँव के भीतर एक ऊँचा मकान बना रहता था, जिसके ऊपर से बहुत दूर तक की चीजें दिखाई देती थीं। ज्योंही लोग डाकुओं को आते हुए देखते त्योंही या तो सब गाँव वाले मिलकर उनसे लड़ने को तैयार हो जाते, या यदि डाकू लोग बहुत अधिक होते तो गाँव वाले अपना रुपया पैसा छिपाकर भाग जाते थे। रुपये-पैसे तो वे वैसे ही धरती में गाड़कर रखते थे। पर, डाकू लोग उन्हें पकड़ लेते और जब तक कि वे यह न बता देते कि उन्होंने अपना रुपया-पैसा कहाँ छिपा रक्खा है, तबतक वे उनके हाथपाँव में तेल

छिड़ककर उन्हें जलाते, अंगुलियाँ काट डालते और तरह-तरह के कष्ट देते थे। जो आदमी फसल बोता था उसे इस बात का भरोसा न रहता था कि मैं उसे काट सकूँगा। जब लोगों को किसी तीर्थ या दूर के स्थान को जाना होता, तब बहुत से लोग इकट्ठे होकर यात्रा करते थे। रास्ते में चोर डाकू लगने के डर से अकेले दुकेले यात्रा करना बड़ी हिम्मत और जोखिम का काम था। अतएव शांतिप्रिय लोगों ने अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिये सामुदायिक संघटन बनाये। इसका सबसे छोटा रूप पारिवारिक पंचायत थी। इसके बाद जातीय पंचायत, गाँव की पंचायत, और अन्य पंचायतें आदि बनीं। आरम्भ में सरपंच से लेकर मुखिया, सरदार और राजा का भी चुनाव सर्व सम्मति से होता था। बाद में जब ये पद वंशानुगत हो गये तब इनमें अनेक बुराइयाँ पैदा हो गईं। परन्तु बहुत काल तक प्राचीन पंचायतों ने सुख-शांति बनाये रखी तथा अपराधियों को दण्ड देती रहीं। इस कार्य के लिये कर्मचारी भी रखे गये।

अब तुम शायद पूछोगे कि सरकार किसे कहते हैं? इसका सीधा उत्तर यही है कि जिसके हाथ में कुछ अधिकार रहता है, उसीको 'सरकार' कहते हैं; क्योंकि वे उसीसे तनख्वाह पाकर अपना निर्वाह करते हैं तथा उसकी आज्ञानुसार काम करते हैं। चपरासी लोग जिस दफ्तर में काम करते हैं उस दफ्तर के साहब को 'सरकार' कहते हैं, क्योंकि यदि साहब की इच्छानुसार कार्य न हुआ तो वह उसे नौकरी से अलग कर सकता है। गाँव के

लोग तहसीलदार या नायब तहसीलदार को 'सरकार' कहते हैं। इस तरह तुम देखोगे कि 'सरकार' का मतलब भिन्न-भिन्न होता है। पर, इस पुस्तक में 'सरकार' का अर्थ समझना चाहिये।

इस पुस्तक में सरकार से हमारा अर्थ भारत सरकार से है जो भारतवर्ष का शासन करती है।

राज्य और सरकारः—

राज्य एक राजनैतिक समुदाय है परन्तु 'सरकार' राज्य का वह अंग है जो राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जिस देश में राजा होता है वहाँ राजा को सरकार और समस्त देशवासियों को राज्य समझना चाहिये। एक राजा के बाद दूसरा सिंहासन पर बैठता है। इस तरह 'सरकार' परिवर्तनशील है, अर्थात् सरकार बदलती रहती है—परन्तु राज्य स्थायी होता है। इस अर्थ के अनुसार भारतवर्ष में आजकल कांग्रेसी सरकार है और समस्त भारतवासी राज्य के अंग हैं। मतलब यह कि जिसके हाथ में शासनसूत्र रहते हैं उसे 'सरकार' कहते हैं और जिसके लिए सरकार बनाई जाती है वह 'राज्य' कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राज्य-स्वामी और सरकार-सेवक है।

राज्य और सरकार में अन्तर होते हुए भी एक दूसरे का घनिष्ट सम्बन्ध है। राज्य का काम सरकार ही करती है। यदि सरकार न हो तो राज्य का काम ही न चले। अतः सरकार राज्य का अनिवार्य अंग है। जिस प्रकार शरीर के भिन्न-भिन्न

अंग अपना-अपना काम करके शरीर की रक्षा करते और उसे पुष्ट बनाते हैं उसी प्रकार राज्यरूपी शरीर की रक्षा करना सरकार रूपी अंग का कार्य है। तथा जिस प्रकार शरीर से उसके अंग पृथक नहीं किये जा सकते उसी प्रकार सरकार को राज्य से पृथक नहीं कर सकते।

सरकार के रक्षा संबंधी कर्त्तव्यः—

सरकार के मुख्य रक्षात्मक कर्त्तव्य यह हैं।

(१) चोर, डाकू, अत्याचारी आदि लोगों से जनता के जानमाल की रक्षा करना। इसके लिये पुलिस रखी गई है।

(२) बाहिरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना। इसके लिये फ़ौज, जहाजी बेड़े आदि रखे गये हैं।

(३) जनता के आपसी झगड़ों को निपटाना और अपराधियों को दण्ड देना। इसके लिये जहाँ-तहाँ अदालतें और पंचायतें खोली गई है।

(४) प्रजा की स्वास्थ्य रक्षा के लिए, चिकित्सा आदि का प्रबन्ध करना; इसके लिए अस्पताल आदि खोले गये हैं।

(५) दुर्भिक्ष और अकाल के समय लोगों की सहायता करना।

इसके सिवाय, सरकार के और भी बहुत से कर्त्तव्य हैं जिनके विषय में आगे बतलाया जायगा। अब हम यह देखेंगे कि सरकार ऊपर लिखे कर्त्तव्यों की पूर्ति किस तरह से करती है।

खण्ड २

सरकार के रक्षा सम्बन्धी कर्त्तव्य

पाठ ५

सेना

बालको, तुम पढ़ ही चुके हो कि सरकार का कर्त्तव्य बाहिरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना और देश में शान्ति स्थापित करना है।

इस कर्त्तव्य का महत्व कितना भारी है—इसे तुम अवश्य समझ सकते हो। यदि देश में हमेशा लड़ाई झगड़े, लूटमार और डकैती मची रहे, जान-माल की रक्षा का प्रबन्ध न हो, तो देश में रहना कठिन हो जावे, खेती पाती या रोज़गार-धन्धा करना तो बहुत दूर की बात है।

देश में शान्ति रखने के लिये सरकार ने पुलिस और सेना का प्रबंध किया है। पुलिस का काम देश भर के भीतर अमन-चैन कायम रखना है। पर, जब कोई भारी लड़ाई-झगड़ा या बलवा हो जाता है, तब वह पुलिस के सम्भाले नहीं सँभलता। उस समय फ़ौज बुलाई जाती और उससे सहायता ली जाती है। पुलिस का हाल तुम्हें आगे के पाठ में बताया जायगा। इस पाठ में सेना या फ़ौज का हाल लिखा जाता है।

किसी राज्य या देश का काम सेना के बिना नहीं चल सकता। यदि देश में सेना न रहे, तो देश निर्बल हो जावे, और

पड़ोस के बली राजा उस पर चढ़ाई करके उसे हड़प लें। सेना ही राज्य का बल है और जिस राज्य में जितनी अधिक सेना रहती है वह राज्य उतना ही बलवान समझा जाता है। इस सेना को रखने के लिए सरकार को करोड़ों रुपये हर साल खर्च करने पड़ते हैं। पर, हम लोग सेना के बल पर जिस शांति के साथ रहते हैं उसकी तुलना में यह खर्च कुछ भी नहीं है। अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं, और कोई भी आदमी रुपयों के लोभ से अपने प्राण नहीं देना चाहता, क्योंकि जब प्राण ही न रहेंगे तो रुपये-पैसे किस काम आवेंगे ? पर, सेना के लोग अपने देश और राजा की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लिये फिरते हैं। इनकी सेवा की तुलना में रुपया-पैसा कोई चीज़ नहीं है।

अपने देश में सेना का प्रबन्ध बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। हाँ लड़ाई की रीति और साधनों में अन्तर अवश्य हो गया है। पहले सेना के चार अङ्ग होते थे—पैदल, घुड़सवार; हाथी और रथ। सिकन्दर और पोरस की लड़ाई के वर्णन से जिसे तुम पाँचवीं क्लास में पढ़ चुके हो, तुम्हें मालूम हो गया है कि पोरस की सेना में चारों अङ्ग थे। ऐसी सेना को चतुरङ्गिणी (चतुः + अङ्गिणी) सेना कहते हैं। पर आजकल हाथी और रथ सेना में नहीं रखे जाते हैं, पैदल और घुड़सवार अवश्य रहते हैं। मोटरों और हवाई जहाजों के सामने रथों को कौन पूछता है। आज कल की सेना में प्यादे (पैदल-सेना), रिसाला (घुड़सवार), तोपखाना और सपरमैना ये चार अङ्ग होते हैं।

सपरमैना (सेपर्स-माइनर्स) उस टुकड़ी को कहते हैं जो सेना के आगे-आगे चलती और पुल, सड़क मोर्चे आदि बनाती है। पैदल पलटन में आठ कम्पनियाँ रहती हैं और प्रत्येक कम्पनी में लग भग सवा सौ सैनिक रहते हैं। इस प्रकार एक पलटन में लगभग १००० सिपाही रहते हैं। रिसालों के चार भाग रहते हैं जिन्हें "स्काडरन" कहते हैं। एक स्काडरन में लगभग १५० सवार और इस प्रकार पूरे रिसाले में छै सात सौ घुड़सवार रहते हैं। कई तोपखाने पलटन के साथ चलते हैं। अँग्रेज़ी में उसे "फील्ड-आर्टिलरी कहते हैं। दूसरा तोपखाना रिसालों के साथ चलता है, उसे अँग्रेज़ी में 'हार्स-आर्टिलरी' कहते हैं। इसकी तोपें बहुत हल्की होती और खच्चरों पर चलती हैं; क्योंकि भारी तोपों के लिए गाड़ियाँ चाहिये और गाड़ियाँ पहाड़ों पर नहीं चल सकतीं। यह हाल जमीन पर लड़ाई करने वाली फ़ौज अर्थात् स्थल सेना का है।

स्थल सेना के सिवाय दो सेनायें और भी होती हैं जिन्हें 'इण्डियन-नेवी' (भारतीय जल-सेना) और 'इण्डियन एअर-फोर्स' (भारतीय वायु सेना) कहते हैं। जल सेना के साथ जहाज़ों का बेड़ा होता है। और हवाई सेना के साथ हवाई जहाज़ों का बेड़ा होता है। पर अपने देश में ये दोनों सेनायें स्थल सेना में ही शामिल समझी जाती हैं। जल-सेना का काम है युद्ध का सामान लाना-ले जाना, समुद्री डाकुओं का दमन करना, बन्दर-स्थानों तथा आपत्ति में पड़े हुए जहाज़ों की रक्षा करना आदि। आकाश-सेना का महत्त्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। आजकल

के युद्ध में आकाश सेना, सेना का मुख्य अङ्ग है तथा जिस देश में जितने अधिक हवाई जहाज़ रहते हैं वह देश उतना ही बलवान समझा जाता है। आकाश-सेना का काम बहुधा विध्वंशक हुआ करता है; परन्तु अब हवाई जहाज़ों के द्वारा डाक आने-जाने लगी तथा यात्रा भी होने लगी है।

अपने देश में स्थल सेना का बहुत महत्त्व है। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कमान्डर-इन-चीफ (जङ्गी लाट या प्रधान सेनापति) है। यह पद प्रेसीडेन्ट (राष्ट्रपति) के पद के समान महत्त्व का है। भारतीय सेना का सदर मुकाम शिमला है और उसके मुख्य कर्मचारी 'हेड क्वार्टर्स स्टाफ़' कहलाते हैं जिनके सुपुर्द अलग-अलग काम हैं; जैसे सैनिकों को शिक्षा देना, रङ्गरूटों को भरती करना, घोड़ों तथा रसद आदि का प्रबन्ध करना, गोली-बारूद आदि तैयार करना, किले और गढ़ी आदि बनाना, सैनिकों की चिकित्सा करना।

पाठ ६

पुलिस

जिस तरह देश को बाहरी शत्रुओं से बचाना सेना का काम है, उसी तरह देश के भीतर शान्ति रखना, अपराधियों की खोज करना और उन्हें दण्ड दिलाना पुलिस का काम है।

शहरों में तुमने देखा होगा कि पुलिस अपनी वर्दी पहने नाके-नाके पर खड़ी रहती है। क्या तुम जानते हो कि पुलिस इस तरह क्यों खड़ी रहती है? वह पहरा देती है और सड़कों पर बहुत भीड़ नहीं होने देती और देखती रहती है कि गाड़ी, ताँगे, मोटर आदि एक किनारे से चलें ताकि कहीं कोई दब न जावे। यदि कोई आदमी रास्ता भूल गया हो तो पुलिस का सिपाही उसे रास्ता बताता है। यदि कहीं लड़ाई-झगड़ा होनेवाला हो, तो पुलिस-वाले वहाँ पहुँचकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और झगड़ा हो जाने पर पता लगाते हैं कि किसने झगड़ा किया था। उसे पकड़कर वे अदालत में भेजते और दण्ड दिलाते हैं। अब समझ गये होगे कि जिस तरह बड़े आदमी अपनी जान माल की रक्षा के लिए चौकीदार रखते हैं जो दरवाजे पर बैठकर देखरेख किया करते हैं, उसी तरह सरकार ने प्रजा की रक्षा के लिए पुलिस नियत की है, अर्थात् पुलिसवाले प्रजा के नौकर हैं। प्रजा की जान-माल की रक्षा करना और शांति रखना उनका कर्त्तव्य है।

नाके-नाके पर खड़े रहने के सिवाय, पुलिस-वाले रात को बस्ती में गश्त देते फिरते हैं और देखते रहते हैं कि कहीं कोई चोरी न हो जावे। बस्ती में जो ऐसे लोग रहते हैं जो चोरी आदि अपराधों के लिए पहले कभी सज़ा पा चुके हैं उनपर पुलिस कड़ी नजर रखती और उनके रङ्ग-ढङ्ग देखती रहती है ताकि वे फिर कोई अपराध न कर बैठें। बस्ती में बाहर से जो लोग आते हैं

अशस्त्र और सशस्त्र पुलिस

और जिनकी चाल-चलन के बारे में पुलिस को सन्देह रहता है उनपर भी उसकी नजर रहती है। वह ऐसे लोगों की रिपोर्ट भी कर देती है और उनसे अच्छी चाल-चलन के लिए जमानत ली जाती है।

कैदी के साथ पुलिस

पुलिस के दो मुख्य भेद हैं:—(१) सशस्त्र (हथियारबन्द) पुलिस और (२) अशस्त्र पुलिस। सशस्त्र पुलिस के पास हथियार रहते हैं और उसे फ़ौजी ढंग से कवायद करना तथा बन्दूक आदि चलाना सिखाया जाता है। यह पुलिस खज़ानों का पहरा देती और कैदियों के साथ आती-जाती है। बलवा होने के समय, या डाकुओं पर हमला करने के लिए भी, इससे काम लिया जाता है। अशस्त्र पुलिस के काम ये हैं:—नाके-नाके पर

खड़े रहकर पहरा देना, भीड़-भाड़ या मेले-ठेले का प्रबन्ध करना, रात को गश्त देना, अपराधियों का पता लगाना आदि।

पुलिस का एक भेद और भी है। उसे "खुफिया-पुलिस" कहते हैं। इन लोगों की कोई वर्दी नहीं होती है। जिस तरह के कपड़े हम और तुम पहने रहते हैं, वैसे ही कपड़े ये भी पहिने रहते हैं और इसीलिए इन्हें पहचानना बहुत कठिन है। जाल-साजी, राज-द्रोह आदि भारी अपराधों का पता लगाना इनका काम है। कभी-कभी ये अपना वेश इस तरह बदल लेते हैं कि इनके घर के लोग भी इन्हें न पहचान सकें। इन लोगों को पुलिस के जासूस समझना चाहिये।

रेलों पर अपराधों आदि का पता लगाने के लिए एक अलग पुलिस होती है जिसे 'रेलवे-पुलिस' कहते हैं। इस महकमे के दफ़्तर रायपुर और होशंगाबाद में हैं।

हम लोगों को चाहिये कि हम पुलिस-वालों की मदद करना सीखें। तुम लोग पूछोगे कि हम भला क्या मदद कर सकते हैं। नहीं, हम उन्हें बहुत कुछ सहायता दे सकते हैं। यदि पुलिस अपराधियों का पता लगा रही हो और हम उन अपराधियों को जानते हों, तो हमारा काम है कि हम पुलिस-वालों को उनका पता देवें। इसी तरह यदि हमें पता लगे कि कुछ आदमी मिलकर किसी के यहाँ चोरी करना चाहते हैं या कहीं कोई झगड़ा करना चाहते हैं तो हम पुलिस को इसकी सूचना देवें। इस तरह हम पुलिस की बहुत-कुछ मदद कर सकते हैं।

पाठ ७

न्यायालय या अदालतें

(१) फ़ौजदारी अदालतें

पिछले पाठ में तुम पढ़ चुके हो कि पुलिस का एक काम यह है कि वह अपराधियों का पता लगावे और उन्हें दण्ड दिलावे। पुलिस अपने हाथ से अपराधियों को दण्ड नहीं दे सकती। वह अपराधी को पकड़कर पहले अपनी निगरानी में हवालात में बन्द करके रखती है ताकि वह भाग न जावे। फिर जितनी जल्दी हो सकता है वह उसे अदालत में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और मैजिस्ट्रेट अपराध की जाँच करता है। पुलिस-वाले अपने गवाह पेश करते और अपराधी अपने गवाह पेश करके अपनी सफ़ाई देता है। कभी-कभी पुलिस और अपराधी दोनों, या दो में से एक, अपनी ओर से वकील खड़ा कर देता है जो सब बातें अदालत को समझाता है। दोनों पक्षों को—पुलिस और अपराधी, दोनों को—अपनी-अपनी बात समझाने का पूरा मौक़ा दिया जाता है। कोई यह नहीं कह सकता कि अदालत ने मेरी बात नहीं सुनी। मुकदमे की सुनाई एक दिन में नहीं हो जाती। कोई-कोई मुकद्दमें कई दिन क्या कई महीने चलते हैं और तब उनका फैसला सुनाया जाता है। यदि अदालत समझती है कि जिस मनुष्य पर जुर्म लगाया गया है, उसने जुर्म नहीं किया है, तो वह उसे छोड़ देती है। पुलिस-वाले लाख कहें कि नहीं हुजूर, इसने जुर्म किया है; पर, यदि वह जुर्म

सिद्ध नहीं होता तो वह मनुष्य तुरन्त छोड़ दिया जाता है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उसने अपराध किया है, तो उसे दण्ड दिया जाता है।

किस अपराध के लिए कितना दण्ड देना चाहिए, इसका निश्चय मैजिस्ट्रेट ही करता है; परन्तु दण्ड देने की सीमा निश्चित रहती है, और मैजिस्ट्रेट को उसके भीतर काम करना पड़ता है। यदि किसी मनुष्य ने किसी स्त्री की नाक काट ली हो- तो मैजिस्ट्रेट उस स्त्री से यह नहीं कह सकता कि तू भी नाक काट ले। ऐसा लाल-बुझक्कड़ी न्याय आजकल की अदालतों में नहीं होता। सरकार ने कायदे-क़ानूनों की बहुत-सी किताबें छपवा दी हैं और उनमें साफ़-साफ़ लिखा है कि अपराधी किन्हें कहते हैं और किस अपराध के लिए कितना दण्ड देना चाहिए। सभी मैजिस्ट्रेटों को इन नियमों का पालन करना पड़ता है।

पुलिस जिन अपराधों का पता लगाती है वे फ़ौजदारी के मामले कहलाते हैं, और फ़ौजदारी की अदालत में पेश होते हैं। इन अपराधों में से कुछ ये हैं:—मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या, बलवा आदि। इन मामलों का निपटारा करने के लिए प्रत्येक जिले में 'डिस्ट्रिक्ट-मैजिस्ट्रेट' रहता है। पर, कतल आदि के मुकद्दमे "डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज"* के

---

*यह एक ही अधिकारी है; पर इसके दो काम हैं। "डिस्ट्रिक्ट-जज" की हैसियत से यह दीवानी मुक़द्दमों का और "सेशन्स जज" की हैसियत से फ़ौजदारी मुक़द्दमों का निपटारा करता है।

पास भेजे जाते हैं। सेशन्स-जज हरएक जिले में नहीं होता। पूरे मध्यप्रदेश और बरार में केवल ६ डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स-जज हैं। सेशन्स-जज के अधीन फ़ौजदारी के मुकद्दमे करने के लिए मैजिस्ट्रेट रहते हैं। मैजिस्ट्रेट तीन दर्जों के होते हैं:—१, २, और ३।

अदालतों में जो दण्ड दिया जाता है वह इस प्रकार है:—बेंत लगाना, जेलखाने की सजा देना, जुर्माना करना, आजन्म कारावास भेजना और फाँसी देना। फाँसी की सजा देने का अधिकार केवल सेशन्स-जज को होता है, और अपराधी को फाँसी तब तक नहीं दी जाती जबतक हाईकोर्ट इस सजा को मंजूर न कर ले। यह प्रबन्ध बहुत अच्छा है; क्योंकि हरएक आदमी से भूल हुआ करती है। कुछ भूलें तो ऐसी हैं जो पीछे सुधर सकती हैं; पर फाँसी देने में भूल हो जावे, तो फिर सुधर ही नहीं सकती। इसलिए इस विषय में बहुत सावधानी रखी जाती है, और यह दण्ड पूरी-पूरी जाँच के बाद ही दिया जाता है। फाँसी की सजा को रद्द करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल (गवर्नर) को रहता है।

डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स-जज कुछ मुकद्दमों में पंचों की भी सलाह लेते हैं। यह पंचलोग शहर के पढ़े-लिखे, अनुभवी, विचारशील और बहुधा स्वतंत्र व्यवसाय-वाले लोगों में से चुने जाते हैं।

बालको, यदि तुम्हें कभी मौक़ा मिले, तो अपने मास्टर सा० के साथ किसी फ़ौजदारी अदालत में जाकर वहाँ का हाल ध्यानपूर्वक देखो। तब तुम्हें पता चलेगा कि वकील और मैजिस्ट्रेट आदि अपना काम किस तरह करते हैं, तथा अदालतों में न्याय किस उत्तम रीति से किया जाता है। तुम इस बात का सन्देह मत करो कि तुम अदालत में न जाने पाओगे। अदालतें अपना काम गुप्त रीति से नहीं करती हैं। तुम क्या, कोई भी आदमी वहाँ जाकर वहाँ होनेवाला काम-काज चुपचाप देख सकता है। हाँ, वहाँ जाकर सब काम चुपचाप देखते रहना, हल्ला मत मचाना।

(२) दीवानी अदालतें

फ़ौजदारी अदालतों के सिवाय, देश में दीवानी अदालतें भी हैं। इन अदालतों में ज़मीन के झगड़े, रुपये-पैसे के सम्बन्ध के मामले आदि निपटाये जाते हैं। मान लो, शिवलाल ने राम-दास से ५०) कर्ज़ लिये हैं। अब शिवलाल वे रुपये नहीं देता। इसलिए रामदास अपने रुपये वसूल करने के लिए दीवानी अदालत में नालिश करेगा। इस तरह के मुक़दमे, यदि दोनों पक्षों के लोग चाहें तो पंचों के सामने भी पेश किये जा सकते हैं। पंचों के फ़ैसले को सरकारी अदालतें भी मानती हैं।

पाठ ८

जेल

पिछले पाठों में, पृष्ठ ३१ पर, यह बताया गया है कि अदालतों में किस-किस प्रकार का दण्ड दिया जाता है। इसमें से एक तरह का दण्ड अपराधी को जेल भेजना है। जेल भेजने में सरकार के प्रायः नीचे लिखे उद्देश होते हैं:—

(अ) अपराधी को कुछ समय तक समाज से अलग रखना ताकि वह अपराध न करे और उसकी चाल-चलन में सुधार हो जावे। (आ) अपराधी को अपने बुरे काम के लिए पश्चात्ताप करने का मौक़ा देना। (इ) दूसरे लोगों को शिक्षा देना कि यदि हम अपराध करेंगे तो हमें भी ऐसी ही सज़ा मिलेगी। (ई) जिस व्यक्ति का अपराध किया गया है उसे या उसके सम्बन्धियों का समाधान करना।

अपराधी को जेल भेजने में सरकार का उद्देश उससे बदला निकालना नहीं रहता। उद्देश यही रहता है कि अपराधी का सुधार हो जावे और वह जेल से निकलकर भले आदमी की तरह रहने लगे। इसी उद्देश से जेल में दरी बनाना, तम्बू तैयार करना आदि कामों की शिक्षा दी जाती है; और जब अपराधी जेल से निकलते हैं तो और कुछ नहीं तो इन्हीं कामों को करके अपना निर्वाह कर सकते हैं।

तुम लोग पढ़ने-लिखने और शिक्षा पाने को स्कूल आते हो। जेल में भी बहुत-कुछ इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है।

पर, तुम स्कूल आने से नहीं डरते, और अपराधी लोग जेल जाने से डरते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि तुम लोग प्रतिदिन स्कूल आते और कुछ घण्टों के बाद घर चले जाते हो। स्कूल में भी तुम्हें बहुत कुछ स्वतन्त्रता रहती है। तुम पढ़ने के समय पढ़ते और खेलने के समय खेलते और मित्रों से बातचीत करते हो। पर, जेल में कैदियों को न घर के समान स्वतन्त्रता ही रहती, और न उन्हें घर के समान आराम ही मिलता है। यदि जेल में घर के समान आराम मिलने लगे, तो तुम्हीं सोचो कि कुछ लोग घर में न रहकर जेल में ही रहना पसन्द करेंगे। इसलिए जेलखाने में ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि कैदियों को वहाँ न तो इतना दुःख ही दिया जाय कि वे मर जावें, और न उन्हें इतना आराम ही मिले कि सजा की म्याद पूरी होने पर वे घर न जाना चाहें। यही कारण है कि लोग जेल जाने से इतना डरते हैं।

जेल की इमारत तुमने देखी होगी। यदि तुम्हारी बस्ती में कोई जेलखाना हो, तो तुम अपने मास्टर साहब के साथ उसके भीतर जाकर वहाँ का काम-काज देख सकते हो। जेलर की इजाजत लेकर तुम उसके भीतर जा सकते हो। जेल की इमारत के आस-पास बहुत ऊँची और मजबूत दीवाल बनी रहती है ताकि कैदी दीवाल कूदकर या उसपर चढ़कर भाग न जावे। दीवाल में एक जगह मजबूत दरवाजा रहता है और उसमें ताला पड़ा रहता है। किसी के आते-जाते समय ताला खोल दिया जाता

और फिर तुरन्त बन्द कर दिया जाता है। इस दीवाल के घेरे के भीतर क़ैदियों को रहना और काम करना पड़ता है। दिन भर वे हाते में या भीतर काम करते और रात को बड़े कमरे में या अलग-अलग कोठरियों में बन्द कर दिये जाते हैं। जिन्हें सख़्त क़ैद की सज़ा मिलती है उनसे दिन भर में ९ घंटे काम लिया जाता है। गिट्टी फोड़ना, मिट्टी खोदना, लकड़ी-चीरना, आटा-पीसना, बगीचे का काम करना आदि कई काम उनसे लिये जाते

जेल के भीतर क़ैदी

हैं। दरी, गलीचा आदि बुनना, टोकनी बनाना आदि काम भी वे करते हैं। जो क़ैदी पूरा काम नहीं करते और ऊधम मचाते हैं उन्हें बेंत जमाये जाते हैं, और इस तरह वे रास्ते पर लाये जाते

हैं। कई के हाथ-पैरों में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं। जो क़ैदी अपना काम अच्छी तरह करते हैं उन्हें इनाम मिलता है। इनाम किस तरह का? घड़ी या किताबें नहीं दी जातीं, वरन् उनकी सजा के कुछ दिन कम कर दिये जाते या वे दूसरे क़ैदियों के सरदार (नम्बरदार) बना दिये जाते हैं। इस तरह इनाम पाने के लोभ और सज़ा के डर से सब कैदी अपना-अपना काम चुपचाप करते हैं। सबेरे जलपान मिलता है। इसके सिवाय, भोजन दोनों समय मिलता और बीमार पड़ने पर डाक्टर इलाज करता है। इस तरह उनकी रक्षा की जाती और बन्धन में रखकर उनसे काम लिया जाता और वे रास्ते पर लाये जाते हैं।

स्त्रियों को भी जेल की सज़ा दी जाती है; पर वे पुरुष क़ैदियों से अलग रखी जाती हैं। १५ साल से कम अवस्था के क़ैदी एक अलग जेल में रखे जाते हैं। उसका नाम "रिफार्मेटरी स्कूल" है। यह स्कूल मध्यप्रदेश में केवल जबलपुर में है। यहाँ क़ैदियों को लिखना-पढ़ना सिखाया जाता तथा कई प्रकार के कला-कौशल की शिक्षा दी जाती है। १५ साल से २२ साल तक की अवस्था के कदी नरसिंहपुर के बोर्स्टल जेल में रखे जाते हैं। २२ वर्ष की अवस्था के बाद वे साधारण जेलों में भेज दिये जाते हैं।

पाठ ९

मजदूरों के हितों की रक्षा

भारतवर्ष में खेती के बाद उद्योग-धंधों का नम्बर है, इस बात को तुम जानते ही हो। कोई समय था जब यहाँ के उद्योग-धन्धे बहुत अच्छी दशा में थे। यहाँ के बने माल की यूरोप में बड़ी माँग रहती थी करोड़ों रुपयों का केवल कपड़ा ही बाहर जाता था। उस समय रेल, तार, आदि न होने से यहाँ के गाँव अपने-अपने लिए स्वतंत्र थे। उन्हें जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती थी वे अपने यहाँ पैदा कर लेते थे। उनके लिए वे दूसरे गाँवों का मुँह न देखते थे। जो चीज़ उस गाँव में न मिलती थी वह बाज़ार के दिन दूसरे गाँव-वालों से मिल जाती थी। इतने पर भी यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती थी तो वह तीर्थ-स्थानों आदि में मिल जाती थी। उस समय बहुत-से उद्योग-धंधे हाथ से चलते थे, और हाथ की बनी चीज़ों की बड़ी क़द्र होती थी।

अब वह समय गया। हाथ की बनी चीज़ों का स्थान अब मशीन की बनी चीज़ों ने ले लिया है। अब खेतों को सिंचाई करना, खाद देना, बीज डालना, फ़सल काटना, उड़ावनी करना, कपड़े तथा भोग-विलास की विविध वस्तुएँ तैयार करना, आदि सभी काम मशीनों की सहायता से होने लगे हैं। यह मशीनों का युग है। मशीन से बनी चीज़ें सस्ती पड़ने के कारण उनका

प्रचार अब घर-घर हो गया है। शहर की हवा लग जाने के कारण अब जुलाहे, किसान, आदि भी अपना पुराना धंधा न करना और चार अक्षर पढ़कर नौकरी करना और 'बाबू' बनना चाहते हैं।

अब उद्योग-धंधे पहले के समान छोटे-छोटे घरों में न चलकर बड़े-बड़े कारखानों में मशीनों की सहायता से चलते हैं। ये कारख़ाने बड़ी-बड़ी पूँजीवाले लखपती और करोड़पती लोगों के हाथ में हैं। इनके अधीन हज़ारों-लाखों मज़दूर काम करते और मशीनों की सहायता से बहुत-सा माल कम समय में और थोड़े परिश्रम से उत्पन्न करते हैं। मशीन से बनी चीज़ों का मुक़ाबला यदि कोई मनुष्य अपने हाथ से बनाई चीज़ों से करना चाहे तो कर नहीं सकता। कारख़ानों का मुक़ाबला कारख़ाने ही कर सकते हैं।

कई कारख़ाने अपने देश में खुल गये हैं और खुलते जा रहे हैं। इनसे जो लाभ होता है उसे तुम जानते ही हो। पर, इनसे जो हानियाँ होती हैं या हो सकती हैं वे भी तुम्हें जान लेनी चाहिए।

कारख़ानों की गँदली हवा में रहकर, हज़ारों आदमियों के एक साथ काम करने से, मज़दूरों का स्वास्थ्य वैसा नहीं रह सकता जैसा गाँव या अपने घर की खुली हवा में शांति-पूर्वक रहकर काम करने से रह सकता है। दूसरे, कारख़ानों के मालिक मज़दूरों से मशीन के समान काम लेना और उन्हें कम-से-कम

मजदूरी देना चाहते हैं; इसलिए मालिकों और मजदूरों के बीच में झगड़ा मचा करता है, और मजदूर तंग आकर हड़ताल कर बैठते हैं। यदि किसी कारखाने के सब मजदूर एक सलाह होकर काम करना छोड़ दें और उनके स्थान में कोई भी मजदूर काम करने को राज़ी न होवे, तो कारख़ाने के मालिक रास्ते पर आ सकते हैं; पर ऐसा बहुत कम होता है—कोई-न-कोई मजदूर काम करने को मिल ही जाते हैं। इसलिए मजदूरों की नकेल मालिक के हाथ में रहती है और वह जैसा चाहता है वैसा उन्हें नचाता है।

मालिक धनवान् अतः शक्तिशाली होते हैं; इसीलिए वे मजदूरों को पीड़ित कर सकते हैं। मजदूरों की इस अड़चन को दूर करने के लिए सरकार ने कई कानून बना दिये हैं। जिनके अनुसार अब कारख़ानों के मालिक मजदूरों से मनमाना काम नहीं ले सकते। और न उन पर अत्याचार ही कर सकते हैं।

कारख़ानों का क़ानून बन जाने से मजदूरों का बहुत हित हुआ है। सरकार यह क़ानून बनाकर ही चुप नहीं बैठी है। वह उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए बहुत-कुछ करती है। भिन्न-भिन्न स्थानों में उद्योग-धन्धों की शिक्षा के लिए सरकार ने जो स्कूल खोले हैं उनका हाल इस पुस्तक के पहले पाठ में दिया जा चुका है। सरकार योग्य तथा गरीब विद्यार्थियों को उद्योग धन्धे सीखने में सहायता देती, तथा कुछ को छात्र-वृत्ति (स्कालरशिप) देकर उच्च-शिक्षा पाने के लिए विदेश भेजा करती है। इसके सिवाय,

समय-समय पर प्रदर्शनी हुआ करती है जिसमें उत्तमोत्तम वस्तुएँ बनाने-वालों को पुरस्कार दिया जाता है।

पाठ १०

सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या

स्वास्थ्य का प्रश्न संसार का सबसे महत्त्व-पूर्ण और साथ ही सबसे कठिन भी है। मनुष्य का जीवन स्वास्थ्य की नींव पर ही टिका हुआ है। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर ससार का सारा ऐश्वर्य तुच्छ दिखता है। रोगी मनुष्य को खाना-पीना, खेलना-कूदना, पहनना-ओढ़ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रहना और कभी बीमार नहीं पड़ना चाहता है।

स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए पौष्टिक भोजन, शुद्ध जल-वायु, साफ़ और हवादार मकान आदि की आवश्यकता पड़ती है। पर, अपने देश में इन सबकी बड़ी कमी है, और लोगों की दरिद्रता ही सबसे बड़ा कारण है। करोड़ों मनुष्यों को दोनों

समय भरपेट भोजन नहीं मिलता। अतः शरीर में किसी बीमारी को रोकने की जो स्वाभाविक शक्ति होती है वह घटती जाती है। प्लेग, हैज़ा आदि बीमारियों से ऐसे ही लोग अधिक मरते हैं। ईश्वर की कृपा से जिन थोड़े-से लोगों को अच्छा भोजन करने का सुभीता है उनमें से बहुतेरे यह नहीं जानते कि कब और कैसा भोजन करना चाहिए। वे गरिष्ठ और मसालेदार पदार्थ मनमाने समय पर खाकर अपनी पाचन-शक्ति बिगाड़ते, और तरह-तरह के रोगों का शिकार बन बैठते हैं।

मकानों का यह हाल है कि बड़े-बड़े शहरों में साफ़ और हवादार-मकानों का कम किराये पर मिलना दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। फल यह होता है कि एक-एक घर में कई लोगों को रहना पड़ता है, जिससे शुद्ध हवा पूरी-पूरी नहीं मिलती और कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देहातों में खुली हवा का सुभीता अवश्य रहता है; पर वहाँ के लोग अज्ञान और आलस्य के कारण अपने पड़ोस को गँदला बनाये रखते हैं, जिससे उन्हें शुद्ध वायु का पूरा-पूरा लाभ नहीं मिलने पाता। गाँवों में पीने के पानी के लिए जो तालाब या कुए रहते हैं उनकी सफ़ाई पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। जिस तालाब का पानी पिया जाता है, उसी तालाब में मैले कपड़े धोये जाते और ढोर नहलाये जाते हैं। इस दूषित पानी से हैजा, आँव, दस्त आदि की बीमारियाँ होती हैं।

इनके सिवाय, हमारी सामाजिक प्रथाएँ भी हमारा स्वास्थ्य

बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रखतीं। जिस देश में दो-दो साल के बच्चों का विवाह होता हो यदि वहाँ-वालों का स्वास्थ्य न बिगड़े, तो किनका बिगड़ेगा?

इस दशा को सुधारना सरकार का बड़ा भारी कर्त्तव्य है। यदि प्रजा के स्वास्थ्य की ओर सरकार ध्यान न देगी, तो और कौन देगा? देश की उन्नति स्वास्थ्य पर भी निर्भर है। रोगी देश किसी भी बात में उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए सरकार इस ओर अधिक ध्यान देती है; परन्तु यह काम जितना महत्त्व-पूर्ण है उतना ही कठिन भी है। तुम जानते हो कि इस देश के लगभग ९० प्रतिशत मनुष्य देहातों में रहते हैं। देहातों में शिक्षा की कमी के कारण बहुत-से लोगों को स्वास्थ्य-रक्षा के नियम नहीं मालूम हैं। देहातों में शुद्ध जल और दवा-दारू का प्रबन्ध करना कुछ सहज काम नहीं है। इस काम में जब तक हम और तुम सब मिलकर सरकार की सहायता न करेंगे, तब तक कुछ न होगा। हमें यह करना चाहिए कि हम स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों को जानें और जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं अथवा जो उन नियमों को नहीं जानते हैं उन्हें बतावें और बताकर ही न रह जावें, वरन् उनपर स्वयं अमल करें और दूसरों को करावें।

सरकार तथा म्युनिसिपैल्टी आदि इस दिशा में जो प्रयत्न करतीं हैं वह इस प्रकार है:—स्थान-स्थान में दवाखाने (Dispensary) खोलना, जहाँ लोगों को दवा बिना मूल्य मिल सके; मैजिक-लैन्टर्न आदि तथा व्याख्यान के द्वारा रोगों

की उत्पत्ति आदि बताना; चेचक के टीके (Vaccination) का प्रबन्ध करना; हैजा तथा प्लेग का टीका (Inoculation) लगाना; मलेरिया ज्वर के लिए कुनैन को सुभीते के स्थानों में बिक्री के लिए रखना तथा बिना मूल्य बाँटना; प्लेग की रोक के लिए चूहे मारना; "शिशु-सप्ताह" (Babies Week) के जल्से करके बालकों के स्वास्थ्य, रोग, आदि की बातें लोगों को समझाना, इत्यादि। इन सब कामों में योग देकर हम लोग बहुत-कुछ सहायता दे सकते हैं।

पाठ ११
सिंचाई का प्रबन्ध

तुम जान गये हो कि खेती ही भारतवर्ष का प्रधान धन्धा है। यहाँ खेती के लिए अधिकतर वर्षा के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है; और वर्षा इन्द्रदेव की कृपा पर निर्भर है। इन्द्रदेव समय पर वर्षा करें, जितनी वर्षा चाहिए उतनी ही करें, उससे न कम करें और न अधिक करें—यह बहुत ही कम होता है। इसका नतीजा यह होता है कि प्रायः प्रतिवर्ष यदि किसी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण फसल सड़ जाती है, तो दूसरे भागों में वर्षा की कमी से फसल पनपने नहीं पाती। बेचारा किसान अपने भाग्य को कोसता रहता है। वह करे तो करे क्या? अमेरिका आदि देशों में जहाँ विज्ञान ने

बहुत उन्नति की है, वहाँ सुनते हैं कि यदि वर्षा के बादल खेतों पर मँडराते हुए दिखें और उस समय वर्षा की आवश्यकता न हो, तो तोप चलाकर उन बादलों को तितर-बितर कर देते हैं। इसके सिवाय, वहां कहीं-कहीं अब "बिना सिचाई की खेती" (dry farming) भी होने लगी है। इसका मतलब यह है कि वर्षा के दिनों में वहाँ जमीन में इतनी तरावट रख ली जाती है कि सूखे दिनों में बिना सिचाई के कई तरह की उपज होती रहती है। दूसरे, वहाँ खेती का धन्धा शिक्षित और धनवान लोगों के हाथ में है, और अपने यहाँ 'किसान' शब्द का अर्थ अशिक्षित और निर्धन मनुष्य है। यह क्या कम अन्तर है? फिर, यदि भारतवर्ष में पैदावार कम होवे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

भारतवर्ष में वर्षा की कमी प्रायः किसी वर्ष में नहीं होती। पानी बरसता है, और खूब बरसता है; पर वह कहीं कम बरसता है और कहीं अधिक। चेरापूँजी में ४६० इंच पानी बरस जाता है तो उत्तरी सिंध में ३ इंच भी नहीं बरसता। बहुत-सा पानी नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता और किसी काम का नहीं रहता है। यदि यह पानी संचित करके खेती के काम में लाया जा सके, तो मरुभूमि भी नन्दन-वन बन सकती है। सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक सरकारी विभाग खोला गया है जिसे "आबपाशी-मुहकमा" (Irrigation Department) कहते हैं।

दुर्भिक्ष-निवारण

सरकार की ओर से आबपाशी के लिए नहरों आदि का प्रबन्ध रहने पर भी भारतवर्ष के किसी-न-किसी प्रांत में प्रायः प्रति वर्ष वर्षा की कमी से दुर्भिक्ष हो जाता है। उस समय खेती के काम में लगे किसान और मजदूर खाली हो जाते हैं और दाने-दाने के लिए तरसने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जब रेल नहीं खुली थी तब दुर्भिक्ष-ग्रस्त प्रान्त के लोग भूखों मरने लगते थे और लाखों आदमी काल के गाल में समा जाते थे; पर अब रेल के कारण ऐसा नहीं होता। देश के एक भाग का गल्ला शीघ्र ही दूसरे भाग में पहुँच जाता है और गल्ले की कमी के कारण लोग भूखों नहीं मरने पाते। इसके सिवाय सरकार तालाब आदि खुदवाना या सड़कें बनवाना आरम्भ कर देती है ताकि खेती से खाली हुए मजदूर उस काम में लगकर अपना निर्वाह कर सकें। ऐसे कामों को 'दुर्भिक्ष-निवारक काम' (Famine Relief Works) कहते हैं। इन कामों में जो रुपया लगता है उसके लिए सभी प्रांतों में एक फण्ड, जिसे 'दुर्भिक्ष निवारक कोष' (Famine Relief Fund) कहते हैं, खुला हुआ है। इस फण्ड में उस प्रान्त की सरकार प्रति वर्ष कुछ रुपया जमा करती रहती है और यह रुपया और उसका सूद दुर्भिक्ष के समय आरम्भ किये गये कामों में खर्च किया जाता है। फसल खराब हो जाने पर सरकार किसानों को तक़ावी और बीज भी देती है।

खण्ड ३

सरकार के शासन-संबंधी कर्त्तव्य

सरकारी शासन की रचना और संघटन

बालको, पिछले पाठों में हमने पढ़ा कि लोगों की जान-माल की रक्षा के लिए सरकार किस प्रकार प्रबन्ध करती है। पर सरकार के कर्त्तव्य यहीं पर समाप्त नहीं हो जाते। इसके सिवाय सरकार के और भी कर्त्तव्य हैं। उसे लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, सरकारी इमारतों आदि कई बातों का प्रबन्ध करना पड़ता है।

सरकार इन बातों का प्रबन्ध किस प्रकार करती है इसको समझने के लिए देश के शासन-प्रबन्ध की रूप-रेखा समझ लेना आवश्यक है।

तुम जानते हो कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश का शासन एक ही स्थान पर बैठकर नहीं किया जा सकता। इसलिए यह देश कई प्रान्तों में बाँटा गया है। देश के सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति कहलाते हैं। यह अपने मंत्रिमंडल की सलाह से देश का शासन प्रबन्ध करते हैं। प्रान्तों के शासन के लिए वे राज्यपाल या राजप्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। जो प्रान्तीय मंत्रिमंडल की सलाह से प्रान्त का शासन प्रबन्ध करते हैं। देश के लिए दिल्ली में और प्रान्तों के लिए प्रान्तों मे धारासभाएँ रहती हैं। इनके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। केन्द्रीय और प्रांतीय

मंत्रिमंडल के सदस्य भी क्रमशः केन्द्रीय और प्रान्तीय धारासभा के सदस्य रहते हैं और अपने कार्यों के लिए उसके प्रति ज़िम्मेदार रहते हैं। यह धारासभाएँ अपने-अपने क्षेत्र के लिए क़ानून बनाती हैं और मंत्रिमंडल उनपर राज्यपाल के नाम पर अपने मातहत लोकसेवकों के द्वारा अमल करते हैं।

सरकार के कार्य सुविधा और आवश्यकता के अनुसार तीन भागों में बाँट दिये गए हैं। कुछ कार्य केवल केन्द्रीय सरकार (देश की सरकार) के हाथ में है और कुछ प्रान्तीय सरकारों के हाथ में। कुछ ऐसे कार्य रहते हैं जिन्हें देश और प्रान्त की सरकारें आपस में एक दूसरे की सलाह से मिलकर करती हैं।

शासन के सुभीते के लिए देश और प्रान्त का शासन-प्रबन्ध कई विभागों में बटा रहता है जैसे, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग आदि। एक मंत्री के अधिकार में एक या एक से अधिक विभाग रहते हैं और वह इन विभागों के द्वारा जनता के प्रतिनिधियों की इच्छानुसार जनता की भलाई के कार्य करते हैं। इन विभागों का उचित संचालन ही सरकार के शासन सम्बन्धी कर्त्तव्य हैं। अगले पाठों में तुम सरकार के इन विभागों में से कुछ के सम्बन्ध में पढ़ोगे।

पाठ १२

शिक्षा की व्यवस्था

जिस प्रकार पुलिस तथा सेना रखकर देश में अमन चैन बनाये रखना सरकार का कर्त्तव्य है, उसी तरह स्थान-स्थान में स्कूल खोलकर प्रजा की शिक्षा का प्रबन्ध करना भी उसका कर्त्तव्य है। इस प्रबन्ध का महत्त्व बहुत बढ़ा-चढ़ा है; क्योंकि यदि लोग अपने कर्त्तव्य को समझने लगें और उसका पालन करते हुए सरकार को यथोचित सहायता दिया करें, तो उसका कर्त्तव्य बहुत कुछ हल्का हो जावे। देश में जो बहुत से अपराध हुआ करते हैं वे बहुधा अज्ञान से होते हैं, और अधिकतर अपढ़ लोग ही इन्हें करते हैं। शिक्षा पाने से लोगों का अज्ञान दूर होता, और उन्हें अपने कर्त्तव्य का बोध होकर उनके चरित्र का सुधार होता है, तथा वे योग्यता प्राप्त करके अपना जीवन-निर्वाह करने में समर्थ होते हैं। इसलिए शिक्षा की ओर ध्यान देना सरकार का एक बहुत भारी कर्त्तव्य है।

इस कर्त्तव्य को निभाने के लिए सरकार ने देश भर में तरह-तरह के स्कूल खोले हैं या खोलने में सहायता दी है। इनके मुख्य भेद इस प्रकार हैं:—(अ) 'प्रायमरी स्कूल' जिनमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती है; (आ) 'मिडिल' और 'हाई स्कूल' जिनमें माध्यमिक शिक्षा दी जाती है; (इ) 'कालेज' जिनमें उच्च शिक्षा दी जाती है; (ई) 'उद्योग धन्धों के स्कूल' जिनमें भिन्न-

भिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे सिखाये जाते हैं। अब इन स्कूलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है।

प्रायमरी शिक्षा

ये स्कूल प्राय: प्रत्येक गाँव में खुले हैं। शहरों में इनकी संख्या और भी अधिक है और प्रति वर्ष बढ़ती जाती है। मध्य-प्रदेश में इन स्कूलों की पढ़ाई ४ वर्षों में समाप्त होती है। इनमें मुख्यतः लिखना-पढ़ना, भूगोल और हिसाब-किताब सिखाया जाता है। कुछ में हस्त-कौशल भी सिखाया जाता है। इन स्कूलों का प्रबन्ध अधिकतर डिस्ट्रिक्ट-कौंसिल या म्युनीसिपैलिटी के हाथ में रहता है। तुम लोग इन स्कूलों में पढ़ चुके हो और इनका बहुत-सा हाल जानते हो; इसलिए यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है।

सन् १९४८ से भिन्न भिन्न स्थानों में शिक्षा-केन्द्र खोलकर समाज-शिक्षा (Social Education) देने का प्रबन्ध किया गया है। इन केन्द्रों में प्रौढ़ (स्याने) लोग शिक्षा पाने लगे हैं।

माध्यमिक शिक्षा

प्रायमरी स्कूलों की पढ़ाई ४ वर्षों में समाप्त हो जाती है, उसके आगे की शिक्षा के लिए 'मिडिल स्कूल' और 'हाई स्कूल' खुले हैं। मिडिल स्कूल दो प्रकार के हैं:—(अ) 'वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल' जिनका शिक्षण-क्रम तीन वर्षों का है। इनमें देशी भाषाओं (यथा हिन्दी, मराठी, उर्दू आदि) के द्वारा शिक्षा दी

जाती है। (आ) 'ऐंग्लो-वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल' का शिक्षण-क्रम ४ वर्षों का है। इनमें अङ्गरेज़ी भी पढ़ाई जाती है। इन स्कूलों के पहले ३ वर्षों में शेष विषय वे ही हैं जो 'वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल' में पहले ३ वर्षों में पढ़ाये जाते हैं। मतलब यह है कि अङ्गरेजी मिडिल स्कूलों और हिन्दी मिडिल स्कूलों की पाँचवीं; छठवीं और सातवीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में अङ्गरेजी के सिवाय शेष विषयों में कोई अन्तर नहीं है।

ऐंग्लो-वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूलों में ४ वर्ष शिक्षा पाने के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई आरम्भ होती है और ३ वर्षों में समाप्त हो जाती है। अन्तिम परीक्षा का नाम "हाई स्कूल सर्टिफिकेट एक्ज़ामिनेशन" है। पहले इसी परीक्षा को 'एन्ट्रैन्स' या 'मेट्रीक्यूलेशन' परीक्षा कहते थे।

इन माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा पाने से बुद्धि कुछ अधिक विकसित हो जाती, और विद्यार्थी साधारण रीति से अपना निर्वाह करने के योग्य हो जाता है।

उच्च शिक्षा

यदि विद्यार्थी प्रति वर्ष परीक्षा में पास होता जावे, तो "हाई स्कूल सर्टिफ़िकेट एक्ज़ामिनेशन" पास करने में ११ वर्ष लगते हैं। इसके बाद साहित्य, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, आदि की उच्च शिक्षा के लिए 'कालेज' खोले गये हैं। कालेज़ों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हें 'प्रोफ़ेसर' कहते हैं; और वे अपने-अपने विषय के पूरे जानकार होते हैं। साधारण रीति से, ४ वर्ष पढ़ने

और परीक्षा पास करने पर, बी० ए० या (बी० एस० सी०) की उपाधि (डिग्री) मिलती है। इसके बाद किसी एक विषय का दो वर्ष गहरा अध्ययन करने और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एम० ए० या (एम० एस-सी०) की उपाधि मिलती है। बी०ए० या (या बी० एस-सी०), एम० ए० (या एम० एस-सी०) इनमें से कोई भी परीक्षा पास करने पर यदि क़ानून पढ़ना हो, तो दो वर्ष पढ़ने और परीक्षा पास करने के बाद एल-एल० बी० की उपाधि मिलती है।

इन उच्च परीक्षाओं का प्रबन्ध विश्व-विद्यालय (यूनीवर्सिटी) करते हैं। मध्यप्रदेश का विश्वविद्यालय नागपुर में है और वह सन् १९२३ से स्थापित है। अब महाकोशल के कालेजों के लिए सन् १९४६ से एक विश्व-विद्यालय सागर में खुल गया है। विश्व-विद्यालय के प्रधान अधिकारी को चैन्सेलर (Chancell r) कहते हैं और प्रांतीय सर्वोच्च अधिकारी ही प्रायः इस पद पर प्रतिष्ठित होता है।

औद्योगिक शिक्षा

भिन्न-भिन्न प्रकार की जिन शिक्षाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है उनके सिवाय, उद्योग-धन्धों की शिक्षा के लिए स्थान-स्थान में औद्योगिक स्कूल खुले हैं। कुछ स्कूलों में लुहार, बढ़ई, मोची, जुलाहे, दर्जी और रङ्गरेज़ का काम सिखाया जाता है। 'स्कूल ऑव आर्ट्स' में चित्रकारी, फ़ोटोग्राफ़ी, चीनी मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना, आदि सिखाया जाता है। कृषि-

कालेज में खेती-किसानी का काम और मेडिकल कालेज में डाक्टरी विद्या सिखाई जाती है। मास्टरों की शिक्षा के लिए ट्रेनिंग कालेज और नार्मल स्कूल खोले गये हैं, जिनमें पढ़ाने की पद्धति सिखाई जाती है। इन भिन्न-भिन्न स्कूलों में कितने समय तक और क्या-क्या पढ़ना पड़ता है, इसका हाल तुम्हें आगे चल-कर मालूम होगा।

स्त्री-शिक्षा

बहुत-से लोग समझते हैं कि पढ़ना-लिखना केवल नौकरी के लिए किया जाता है। पर, बात ऐसी नहीं है। पढ़ने-लिखने का उद्देश ज्ञान की प्राप्ति है; और ज्ञान प्राप्त होने से मनुष्य को अपने कर्त्तव्य का बोध होता तथा वह अपने चरित्र का सुधार करके जीवन उत्तम रीति से बिता सकता है। इस दृष्टि से देखने पर मालूम होगा कि पढ़ने-लिखने की जितनी आवश्यकता बालकों को है उतनी ही बालिकाओं को भी है। पर, अपने देश में स्त्री-शिक्षा का प्रचार उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब कुछ समय से स्कूल में पढ़नेवाली लड़कियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षिका तैयार करने के उद्देश्य से नार्मल स्कूल खोले गये हैं। मध्यप्रदेश में अमरावती और जबलपुर में स्त्रियों के नार्मल स्कूल हैं। इसी प्रकार शिक्षक तैयार करने के लिए पुरुषों के नार्मल स्कूल और ट्रेनिंग कालेज हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की नीति

देश भर में जितने स्कूल हैं यदि उन सबका वर्गीकरण किया जाय, तो पता चलेगा कि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा ग़ैर-सरकारी या प्राइवेट स्कूल ही अधिक हैं। इसका कारण सरकारी शिक्षा-विषयक नीति है। सरकार भिन्न-भिन्न स्कूलों को स्वयं खोलना और चलाना उतना नहीं चाहती जितना कि वह चाहती है कि प्राइवेट संस्थाएँ या व्यक्ति इन्हें खोलें और चलावें। जो स्कूल सरकारी सहायता चाहते हैं उन्हें सहायता दी जाती है। प्रायमरी और हिन्दी मिडिल स्कूल तो प्राय: सब-के-सब म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट-कौंसिलों के हाथ में हैं। अँग्रेज़ी मिडिल और हाई स्कूलों में से बहुत-से सरकारी हैं। जिन स्कूलों को सरकारी सहायता मिलती है उनका नियंत्रण सरकार करती है। सरकारी इन्सपेक्टर समय-समय पर उन स्कूलों में जाते और पढ़ाई तथा प्रबन्ध देखते हैं।

सरकार की एक नीति यह भी है कि वह भिन्न-भिन्न प्रकार के कुछ स्कूल, नमूने के तौर पर, खोलकर लोगों को यह बताना चाहती है कि इस प्रकार के स्कूल किस ढंग से चलाना चाहिए।

पाठ १३

डाक घर और तार घर

बालको, तुममें से बहुतों ने तारघर देखे होंगे। डाकघर तो सभी ने देखे होंगे। पर, तुम्हें शायद इस बात का पता न होगा कि ये डाकघर अपने देश में पुराने समय में न थे। अँग्रेज़ सरकार के ही समय में तार और डाक का ऐसा अच्छा प्रबन्ध हुआ था, और यह सारा प्रबन्ध उसी के हाथ में था।

इस प्रबन्ध से क्या सुभीता हुआ है, इसे तुम प्रतिदिन देखते हो। पुराने समय में डाक लाने-ले-जाने का जो प्रबन्ध था वह इतना अच्छा न था जितना आजकल का प्रबन्ध है। उस समय रेल न होने से पत्र हलकारों के हाथ भेजे जाते थे और एक पत्र बहुत समय में अपने ठिकाने पर पहुँचता था; और इस काम में बहुत-सा रुपया ख़र्च करना पड़ता था। जब राजा लोग लड़ाई पर जाते थे, तब अपनी ख़बर राजधानी में पहुँचाने के लिए वे अपने साथ सीखे हुए कबूतर रखते थे और किसी कबूतर के पंख में चिट्ठी बाँधकर उसे उड़ा देते थे। तब वह कबूतर राजधानी में पहुँचता और इस तरह चिट्ठी पहुँचाता था।

अब यह हाल है कि तीन पैसे के पोस्ट-कार्ड में तुम अपनी ख़बर लिखकर देश के एक छोर से दूसरे छोर में, २-४ दिन के भीतर, पहुँचा सकते हो। शहरों और बड़े-बड़े गाँवों में डाकघर

खुले हैं। तुम किसी भी डाकघर में जाकर तीन पैसे में एक पोस्टकार्ड ख़रीद लो और उसमें एक ओर जो कुछ तुम्हें लिखना हो वह, और दूसरी ओर पत्र-पाने वाले का नाम और ठिकाना लिखकर पत्र छोड़ने के पोंगे (लेटर-बाक्स) में छोड़ दो। डाक-घरवाले नियत समय पर उस पोंगे को खोलकर उसमें की सब चिट्ठियाँ निकाल लेंगे और चिट्ठी में जो टिकट लगी या छपी रहती

पत्र और लैटर-बाक्स

है उसमें तारीख़ की मुहर (छाप) लगा देंगे और एक थैली में बन्द करके उसे रेलगाड़ी के समय पर स्टेशन पहुँचा देंगे। रेल-गाड़ी-वाले सब पत्रों को छाँटकर जो पत्र जहाँ के होंगे वहाँ पहुँचा देंगे और वहाँ के डाकघर वाले उन पत्रों पर पत्र पहुँचने

मेल-प्यून

हलकारा और पोस्ट-मैन

की तारीख़ छापकर चिट्ठीरसा को देंगे और चिट्ठीरसा जो पत्र जहाँ का होगा वहाँ पहुँचा देगा। यदि पत्र देहात का होगा, तो देहात में जानेवाला पोस्टमैन वहाँ जाकर उसे पहुँचा देगा। इस तरह तीन पैसे के पोस्ट-कार्ड के द्वारा तुम अपनी ख़बर अपने मित्र या रिश्तेदार के पास, चाहे वह देश में कितनी ही दूरी पर क्यों न हो, थोड़े समय के भीतर पहुँचा सकते हो। यदि तुम पत्र में बहुत-सा हाल लिखना चाहो और यह भी चाहो कि तुम्हारा पत्र कोई दूसरा न पढ़ने पावे, तो तुम दो आने के लिफ़ाफ़े में अपना पत्र भेज सकते हो। अब डाक हवाई जहाज़ के द्वारा आने-जाने लगी है जिसमें ख़र्च तो कुछ अधिक करना पड़ता है; पर समय की बहुत बचत हो जाती है।

डाकघर में चिट्ठी-पत्री भेजने के सिवाय मनिआर्डर, पार्सल आदि भेजने का भी काम होता है। इसका वर्णन तुम "साधारण ज्ञान" के दूसरे भाग में पढ़ चुके हो। यदि और अधिक हाल जानना चाहते हो तो, अपने मास्टर साहब से पूछो। हम यहाँ डाकघर के कामों का ब्यौरा नहीं, वरन् डाक का सरकारी प्रबन्ध बताना चाहते हैं।

डाक से सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा प्रबन्ध तार का है। जो काम चिट्ठी के द्वारा कुछ दिनों में होता है वही काम तार के द्वारा कुछ मिनटों में हो जाता है। हाँ, तार भेजने में चिट्ठी भेजने की अपेक्षा ख़र्च अधिक करना पड़ता है; इसके द्वारा आवश्यक काम रुकने नहीं पाता। व्यापारी लोग तार के द्वारा देश-देशांतरों

के व्यापार की मद्दी-तेजी का क्षण-क्षण का हाल जान लेते और इसके द्वारा बात-की-बात में, लाखों रुपये पैदा कर लेते हैं। सरकारी काम-काज में भी इससे बड़ा सुभीता हुआ है, और सरकारी अफ़सर आवश्यकता पड़ने पर खास प्रबन्ध कर सकते हैं। मान लो, जबलपुर के कमिश्नर सा० शिमला को एक ज़रूरी तार भेजना चाहते हैं। वे अपने तारघर को १५ मिनट पहले 'क्लियर दी लाइन' की सूचना दे देंगे। इस सूचना का मतलब यह है कि जबलपुर से लेकर शिमला तक के तारघर अपना-अपना काम थोड़े समय के लिए बन्द करके इस ज़रूरी तार को भेजने में लग जावेंगे; और वहाँ शिमला के तारघर में तार-चपरासी अपनी साइकिल लिए तैयार रहेगा, और तार पहुँचते ही ठिकाने पर पहुँचा देगा। इस तरह, बात-की-बात में जबलपुर का तार शिमला पहुँच जायेगा। तार का यह विशेष प्रबन्ध सरकारी काम-काज के लिए ही हो सकता है; हम और तुम कितना भी खर्च करके इस तरह का प्रबन्ध नहीं करा सकते। खबरें लाने-ले-जाने के लिये डाक और तार के सिवाय एक और भी प्रबन्ध अभी हाल में हुआ है जिसे 'टेलीफ़ोन' कहते हैं। डाक और तार से तो लिखी हुई खबरें आती-जाती हैं; पर टेलीफ़ोन में मुँह से बोली हुई आवाज़ हज़ार मील के फासले पर, ज्यों की त्यों सुनाई पड़ती है। जिस मनुष्य से हम बातचीत करते हैं वह तो नहीं दिखाई देता, पर उसके मुँह से निकली बात ज्यों-की-त्यों सुनाई पड़ती है। इसमें तार की अपेक्षा

कुछ अधिक खर्च अवश्य करना पड़ता है; पर तार की अपेक्षा इससे काम भी बहुत अधिक हो जाता है। इस टेलीफ़ोन के द्वारा भिन्न-भिन्न बड़े-बड़े शहरों के बीच तो बातचीत होती ही है, एक ही शहर में भिन्न-भिन्न लोगों के बीच भी बातचीत हो जाती है। इससे समय और परिश्रम की बहुत बचत होती है। बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े शहरों में, कामकाज की भीड़ के कारण, लोग महीनों आपस में नहीं मिल पाते; पर टेलीफ़ोन के द्वारा घर बैठे-बैठे कभी भी बातचीत कर लेते हैं।

तार और डाक का एक अलग मुहकमा है, और इसका सारा प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में रखा है। इस प्रबन्ध से प्रजा को और सरकार को भी बहुत सुभीता हो गया है। इस काम में जो कुछ लाभ होता है उसे सरकार इसी विभाग की उन्नति करने में लगाती है।

प्रत्येक ज़िले में एक बड़ा पोस्ट-आफिस (डाकघर) रहता है जिसका अधिकारी पोस्ट-मास्टर कहलाता है। इसके सिवाय, ज़िले भर में कई ब्राञ्च-पोस्ट-आफ़िस और कुछ सब-पोस्ट आफिस रहते हैं। बड़े बड़े गाँवों में भी डाकघर रहते हैं। उनका काम बहुधा स्कूल-मास्टर करते हैं। उन्हें इस काम के लिए अलग भत्ता (अलौंस) दिया जाता है।

पाठ १४

रेल

पिछले पाठ में डाक के जिस प्रबन्ध का हाल लिखा गया है वह प्रबन्ध रेलगाड़ी के ही कारण सम्भव हुआ है। यदि रेलगाड़ी न होती, तो डाक लाने लेजाने का प्रबन्ध हलकारों के द्वारा करना पड़ता, जैसा कि देहातों में जहाँ कि रेल नहीं गई है, अब भी करना पड़ता है। हाँ, अब आजकल शायद मोटरों के द्वारा वह प्रबन्ध किया जाता है। जो हो, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रेलगाड़ी के ही कारण डाकघर के काम में इतना अधिक सुभीता हुअ :

अच्छा तो, ये रेलगाड़ियाँ अपने देश में कब से चलीं ? ये अँगरेज़ सरकार के ही समय में आरम्भ हुईं, और इन्हें चले लगभग १०० वर्ष ही हुए हैं। रेलगाड़ी का चलना कुछ सहज काम नहीं है। इसके लिए करोड़ों रुपयों की पूँजी चाहिए। क्या तुम्हें मालूम है कि रेल की एक मील मामूली सड़क बनाने में कितना ख़र्च पड़ता है ? इसमें लगभग दो लाख रुपये लगते हैं; और अपने देश में रेल की सड़कों की लम्बाई इस समय लगभग ५०००० मील है। अब तुम हिसाब लगाओ कि सड़कें बनाने में कितना ख़र्च हुआ होगा। इसका भी हिसाब लगा लो कि नदियों के पुल और बोगदे बनाने में क्या ख़र्च पड़ता है। एक-एक पुल और बोगदे में कई लाख रुपये लग जाते हैं। सड़कके सिवाय, रेलगाड़ी

के डब्बे, एंजिन, स्टेशन की हज़ारों इमारतें, बाबू लोगों के रहने के मकान और न जाने क्या-क्या चाहिए। इन सबके लिए बेहिसाब रुपया चाहिए। इतना रुपया एक आदमी के पास यदि हो भी, तो वह एकदम लगाने को तैयार नहीं हो सकता; क्योंकि कौन जाने इतने बड़े काम में लाभ हो या घाटा उठाना पड़े। जब अपने यहाँ रेल खोलने का विचार हुआ, तब पूंजी लगाने वाले लोग नहीं मिले। सरकार जानती थी कि रेल खोलने से क्या-क्या लाभ होते हैं; इसलिए वह तो इसके पीछे पड़ गई। पर साथ ही खुद पूँजी लगाना नहीं चाहती थी। उसने धनी व्यापारियों को समझाया कि इस काम में बहुत लाभ होगा। पर, वे ठहरे व्यापारी। उन्होंने कहा कि इसका भरोसा ही क्या है कि इस काम में लाभ ही होगा; और यदि लाभ न होगा तो हम आपसे क्या वसूल कर लेंगे? निदान सरकार ने समझाया कि अच्छा भाई, यदि इस काम में हानि होगी तो उसे हम पूरा करेंगे। तुम लोग पूँजी लगाओ, हम ज़मीन मुफ़्त में देते हैं, पूँजी पर तुम्हें कम-से-कम पाँच सैकड़ा सूद मिलेगा। यदि किसी साल इतना सूद न उपजेगा तो हम पूरा करेंगे। और हाँ यदि किसी साल ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उस ज़्यादा फ़ायदे का आधा हिस्सा तुम लेना और आधा हिस्सा हम लेंगे। तब कहीं वे लोग राजी हुए। इस संबंध में और बहुत सी शर्तें हुईं जिन्हें तुम अभी समझ न सकोगे। तुम इतना ही जान लो कि सरकार के बीच में पड़ने से ही रेलें खुली हैं। अब तो कई रेलें सरकार की हो गई हैं, कुछ देशी राजाओं की हैं; और कई का

प्रबन्ध तो कम्पनी करती है; पर उसकी मालिक सरकार ही है।

आज देश-भर में रेल का जाल बिछ गया है। जरा भारत के नक्शे में रेल की सड़कों को देखो, तब तुम्हें इसका पता चलेगा। पहले-पहल लोग रेल में चढ़ने से डरते थे। बहुत-से लोग तो जोखिम के डर से कि कहीं रेल का पुल टूट जावे और हम डूब जावें, और बहुत-से लोग धर्म जाने के भय से रेल में चढ़ने से हिचकिचाते थे। इस बात का बड़ी चिन्ता थी कि रेलगाड़ी में बैठकर हम पानी कैसे पियेंगे; और यदि नीचे उतरकर पानी पियें और इतने में गाड़ी छूट जावे, तब ? पर ज्यों-ज्यों लोग रेल का लाभ समझने लगे, त्यों-त्यों उनका डर दूर होने लगा, और अब तो देश में बहुत थोड़े लोग ऐसे निकलेंगे जिन्होंने रेल में यात्रा न की हो। रेल चीज़ ही ऐसी है कि उसके बिना अब काम नहीं चल सकता।

रेल से और जो लाभ हुए हैं वे इस प्रकार हैं:—

(१) समय और पैसे की बचत—रेल खुलने के पहले लोग तीर्थों को जाते समय अपनी जायदाद की लिखा-पढ़ी कर देते थे; क्योंकि कौन जानता था कि वे जीवित लौटें या न लौटें। फिर बैलगाड़ी पर या पैदल चलकर महीनों में वे अपने ठिकाने पर पहुँचते थे। रास्ते में नदी आदि पार करने में जो अड़चन होती और डाकुओं का जो डर रहता था उसकी बात ही न पूछो। पहले जो यात्रा

महीनों में पूरी होती थी अब वह दिनों में पूरी होती है; और पहले यात्रा भर में केवल भोजन में जितना खर्च होता था उतने में अब पूरी यात्रा हो जाती है।

(२) भाव में समानता—यह एक साधारण बात है कि जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वहाँ सस्ती बिकती है और उसे ज्यों-ज्यों दूर ले जाते हैं त्यों-त्यों वह महँगी होती जाती है। अब रेल हो जाने से चीज़ों को लाने-ले-जाने में बहुत-कम खर्च पड़ता है, और इसलिए देश की सब चीजें प्रायः सभी जगह एक-से भाव पर बिकती हैं।

(३) दुष्काल के समय सहायता—जब किसी प्रांत में दुष्काल पड़ता है, तो तार द्वारा यह समाचार तुरन्त देश भर में फैल जाता है, और रेल के द्वारा खाने-पीने की सब चीज़ें थोड़े ही समय में वहीं पहुँच जाती हैं। इससे बहुत कम लोग भूखों मरने पाते हैं।

(४) बलवे के समय सहायता—जहाँ सेना की आवश्यकता हो वहाँ सेना थोड़े समय में पहुँचकर बलवे और अशांति का दमन कर सकती है।

रेल से इस तरह और कई लाभ हुए हैं।

रेल का बहुत-सा प्रबन्ध सरकार के हाथ में है। जो रेलें सरकारी हैं उनपर तो सरकार का पूरा-पूरा अधिकार है; पर दूसरी रेलों पर भी जिन्हें कम्पनियाँ चलाती हैं, सरकार देखरेख रखती है। सब रेलों पर देखरेख करने के लिए एक कमेटी बनाई

गई है जिसे "रेलवे बोर्ड" कहते हैं। इसमें एक सभापति और दो मेम्बर हैं। इस बोर्ड का दफ़र नई दिल्ली में है। कोई भी रेलवे कम्पनी बिना सरकार की मंजूरी के किराया नहीं बढ़ा सकती। हिसाब किताब पर भी सरकारी देखरेख रहती है। अब रेलों का प्रबन्ध भारतीय सरकार के हाथ में गया है।

पाठ १५

पब्लिक-वर्क्स-डिपार्टमेण्ट

(लोक-कर्म-विभाग या बारिक-मास्टरी का महकमा)

बालको, यदि तुम्हें अपने रहने के लिए नया मकान बनवाना हो, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने हाथ से बनाओगे? नहीं, तुम्हें यह काम कारीगरों, मज़दूरों आदि के सुपुर्द करना पड़ेगा। फिर भी तुम्हें देखरेख करनी पड़ेगी; और ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि समान इकट्ठा करना पड़ेगा। सरकार को भी अपने देश में इसी तरह का काम करना पड़ता है। उसे देश भर में स्कूलों की इमारतें, कचहरी, सड़क, पुल आदि बनवाने पड़ते हैं। फिर बनवा देने से ही काम नहीं चलता, समय-समय पर उनकी मरम्मत भी करानी पड़ती है। इस सब काम के लिए सरकार ने प्रत्येक प्रान्त में एक अलग महकमा या विभाग ही खोल दिया है। उसका नाम है "पब्लिक-वर्क्स डिपार्टमेंट" या लोककर्म विभाग या बारिक-मास्टरी का महकमा। इसके सुपुर्द मुख्यतः ये काम हैं:—

(अ) नयी सड़कें और पुल तैयार करना, और उनकी मरम्मत करना।

(आ) स्कूल, कचहरी, अस्पताल आदि की इमारतें बनाना और उनकी मरम्मत करना।

(इ) तालाबों के बाँध बाँधना।

(ई) नहरें खोदना और उनका प्रबन्ध करना।

इस 'पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट' की दो शाखाएँ हैं:—

(१) 'सड़क और इमारत-विभाग' (Roads and Buildings

तालाब का बाँध

Branch); और (२) 'आबपाशी-विभाग' (irrigation Branch) । ये दोनों शाखाएँ एक 'चीफ़ एञ्जीनियर' के अधिकार में हैं। इन दोनों शाखाओं का संगठन एक-सा है।

इस विभाग का काम कुछ साधारण नहीं है, और उसे सब कोई नहीं कर सकते। गङ्गा आदि नदियों पर जो भारी पुल बने हुए हैं जिनपर से भरी हुई रेलगाड़ियाँ दिन-रात दौड़ा करती हैं, उन पुलों को बनाना कोई हँसी-खेल नहीं है। उन्हें बनाने के लिए बहुत शिक्षा और अनुभव की आवश्यकता है। अनुभव तो काम करते-करते आता है, पर शिक्षा पाने के लिए स्कूल होना चाहिए। इस विभाग में बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं वे विलायत से काम सीखकर आते हैं। अपने देश में भी इस विषय की कुछ शिक्षा दी जाती है; और उसके लिए रुड़की, शिवपुर (बंगाल) मद्रास और पूना में स्कूल खुले हैं।

पाठ १६
कृषि की व्यवस्था
कृषि का महत्त्व

अपना देश कृषि-प्रधान है—खेती ही यहाँ का मुख्य धन्धा है। यदि और बारीक हिसाब लगाया जाय, तो पता चलेगा कि १०० में से लगभग ६७ मनुष्य या तो स्वयं खेती करते या खेती के काम में सहायता पहुँचाकर गुजर करते हैं।

इसलिए भारतवासियों की दृष्टि से खेती का महत्व बढ़ा-चढ़ा है।

सरकार की दृष्टि से भी खेती का महत्त्व कुछ कम नहीं है। अस्पताल, जेल, पुलिस, स्कूल, आदि चलाने के लिए सरकार

को जो पैसा चाहिए वह हमीं लोगों से वसूल किया जाता, और हमीं लोगों की भलाई के कामों में खर्च किया जाता है।। पुलिस, जेल, शिक्षा आदि ऐसे विभाग हैं, जिनमें खर्च-ही-खर्च है— आमदनी कुछ नहीं के बराबर है। परन्तु, खेती (भूमि-कर) से सरकार की खासी आमदनी होती है। यह आमदनी लगभग ४१ करोड़ रुपयों की है। इसलिए सरकार की दृष्टि से भी खेती का बहुत अधिक महत्त्व है।

कृषि में उन्नति न होने के कारण

कई कारणों से खेती में यथेष्ट उन्नति नहीं हो रही है। इनमें नीचे लिखे कारण प्रधान हैं:— (१) अपने देश के किसान इतने दरिद्र हैं कि वे नये-नये यंत्रों की सहायता से खेती नहीं कर सकते। यहाँ तो वही पुराने हल काम देते हैं। (२) बँटवारे की प्रथा के कारण बाप-दादों के खेत लड़के-बच्चों में बँटते-बँटते इतने छोटे होते जाते हैं कि उनमें खेती तथा निगरानी करने में बहुत अधिक खर्च होता है, अतः खेती का धन्धा बहुत से लोगों के लिए लाभदायक नहीं रह गया है। (३) कई भागों में सिंचाई का सुभीता न होने के कारण, खेती के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि पानी समयपर और अच्छा बरस गया, तब तो ठीक, नहीं तो हाहाकार मच जाता है। (४) किसानों में शिक्षा का प्रचार बहुत कम होने के कारण उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि खेती की उपज किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है।

कृषि-विभाग

किसानों की इन अड़चनों की ओर सरकार का ध्यान है, और वह इन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रही है। किसानों को समय पर बैल, बीज, औजार आदि खरीदने के लिए कम ब्याज पर रुपया मिल सके—इसके लिए सरकार ने 'सहकारी-साख-समितियाँ और सहकारी-बैंक' खोले हैं। खेती की शिक्षा अब कुछ समय से देहाती स्कूलों में दी जाने लगी है, जिससे खेती की कई नई-नई बातें मालूम होकर खेती का सुधार किया जा सकता है।

किसानों को खेती के सुधार की बातें समझाने तथा अच्छे बीज आदि का सुभीता करने के उद्देश्य से सरकार ने कृषि-विभाग (Department of Agriculture) खोला है।

कृषि-विभाग में काम करने के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करने के उद्देश्य से कृषि-शिक्षा के लिए कुछ कालेज खुले हैं। अपने प्रांत में नागपुर में एक कृषि-कालेज (Agricultural College) है। पूसा में एक बड़ा भारी कालेज है जहाँ खेती के सम्बन्ध की नई-नई खोज की जाती, खेती के रोगों को दूर करने के उपाय बताये जाते तथा इसी प्रकार की कई महत्त्व-पूर्ण बातें बताई जाती हैं।

कृषि-विभाग के काम

कृषि विभाग के जिम्मे ये काम किये गये हैं

(अ) कृषि की भिन्न-भिन्न फ़सल, खाद और औज़ारों के

प्रयोग। भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि पर गेहूँ, कपास आदि भिन्न-भिन्न प्रकार की फ़सलें उत्पन्न की जाती, भिन्न-भिन्न प्रकार के खादों और औज़ारों की परीक्षा की जाती, और इस बात की सिफ़ारिश की जाती है कि किस ज़मीन में कौन-सी फ़सल बोना, किस फ़सल के लिए कौन-सी खाद डालना तथा औज़ारों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। इस काम के लिए जबलपुर, रायपुर, अकोला, आदि स्थानों में प्रयोग-शालाएँ (Experimental farms) खोली गई हैं।

(आ) उत्तम बीज का चुनाव करना तथा उसे किसानों को बाँटना। उपज बहुत-कुछ बीज पर निर्भर रहती है। यदि बीज अच्छा न हो, तो अच्छी भूमि में अच्छी खाद डालने से भी अच्छी उपज नहीं हो सकती; इसीलिए अच्छे बीज का चुनाव करना खेती के लिये बहुत आवश्यक बात है। कृषि-विभाग जिस ज़मीन के लिए जिस बीज को अच्छा समझता है उसका संग्रह करता और वहाँ के लोगों को उसे बाँटता है। उत्तम बीज रखने और उसे बाढ़ी (सवाई या डेढ़िया) से देने में दूसरे लोग भी उत्साहित किये जाते हैं।

(इ) कृषि-सभाओं का संगठन। खेती के सम्बन्ध की नई-नई खोजों का हाल लोगों को बताने, खेती-किसानी की अड़चनें और शिकायतें अफ़सरों के कान तक पहुँचाने, उत्तम बीज जमा करने और बाँटने, आदि कामों के लिए संगठन की आवश्यकता है। इस काम के लिए भिन्न-भिन्न तहसीलों में कृषि-सभाएँ खोली गई हैं।

(ई) कृषि-सम्बन्धी ज्ञान का प्रचार। यह एक महत्त्वपूर्ण काम है। कृषि-विभाग छोटी-छोटी पुस्तकें बाँटकर तथा मैजिक लैन्टर्न की तसवीरें बतलाकर लोगों में कृषि-ज्ञान का प्रचार किया करता है। पवाँरखेड़ा फार्म में खेती का काम सिखाने के लिए एक स्कूल खोला गया है जहाँ बालकों को अन्य विषयों की शिक्षा के साथ-साथ खेती-किसानी की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। इसके सिवाय खेती के फ़ार्मों पर समय-समय पर जल्से किये जाते और एकत्रित लोगों को खेती की नई-नई पद्धतियाँ और नये-नये औज़ारों का प्रयोग बतलाया जाता है।

(उ) तकावी बाँटना। खेती के काम में सुधार करने के लिए सरकार किसानों को कुछ शर्तों पर क़र्ज़ दिया करती है। इस क़र्ज़ को 'तक़ावी' कहते हैं।

(ऊ) पशुओं की नसल सुधारना। कृषि-विभाग खेती के पशुओं की नसल सुधारने की ओर भी ध्यान दिया करता है। अच्छे-अच्छे साँड़ तैयार करके किसानों को दिये जाते हैं।

ये सब काम हैं जिन्हें कृषि-विभाग किया करता है। प्रत्येक ज़िले में "डिमान्सट्रेशन एण्ड सीड-फ़ार्म" (Demonstration and seed-farm) खोले गये हैं जहाँ किसानों को अच्छा बीज मिल सकता और खेती की नई पद्धतियों और औज़ारों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये फ़ार्म किसानों के लिए खोले गये हैं। किसान लोग फुरसत मिलने पर यहाँ जाते और यहाँ के फ़ार्म सुप्रिंटेंडंट से मिलकर सब बातें जाना करते हैं।

खण्ड ४

नागरिक के कर्तव्य

पाठ १७

हमने देखा, राज्य की छाया में रहकर प्रत्येक नागरिक फलता-फूलता है। इसलिए नागरिक अपने राज का ऋणी है और इस ऋण से उऋण होने के लिए उसे राज के प्रति कुछ कर्त्तव्यों का पालन करना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार कि संतान अपने माता-पिता के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन करती है। इनमें से मुख्य-मुख्य कर्त्तव्यों का विवेचन यहाँ किया जाता है—

राज-भक्ति—नागरिक के हृदय में अपने राज और देश के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। स्वदेश के लिए मर-मिटने को उसे सदैव तत्पर रहना चाहिए। स्वतंत्रता नागरिक के लिए एक बहुमूल्य रत्न है। इसे कभी नष्ट न होने देना चाहिए। जब कोई अन्य जाति किसी देश पर अधिकार कर लेती है, तब वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है; इसलिए अपने देश और राजा की रक्षा करना नागरिक का पहला कर्त्तव्य है। नागरिक को अपने देश के गौरव का सदैव स्मरण रखना चाहिए, और कभी कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे देश के नाम या शान पर कोई धब्बा आवे।

क़ानूनों का पालन करना—राज अपनी आज्ञा बहुधा कानून के द्वारा दिया करता है। इसके लिए कानून बना दिये जाते हैं ताकि प्रजा को मालूम हो सके कि प्रजा का क्या कर्त्तव्य है या राजा को प्रजा से क्या आशा है। राज के इन कानूनों को मानना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। यदि कोई मनुष्य राज के किसी कानून को भङ्ग करता है, तो सम्भव है दूसरे लोग भी ऐसा ही करने लगें। इस तरह देश भर में अशांति और अराजकता फैल सकती है। कानून भङ्ग करनेवालों को दण्ड देना राज का अधिकार है। इसमें संदेह नहीं कि किसी व्यक्ति को दण्ड देना उस व्यक्ति की दृष्टि से बहुत अप्रिय होता है, तथापि पूरे समाज के हित के लिए एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के साथ अप्रिय काम करना बुरा नहीं समझा जाता। कभी-कभी कुछ लोगों की दृष्टि में कोई कानून बुरा जँचता है; पर इसीलिए उस कानून को तोड़ना उचित नहीं कहा जा सकता। इसके लिए उचित उपाय तो यह है कि कानून की सीमा के भीतर शांति-मय आन्दोलन करके उस कानून को बदलने का प्रयत्न किया जाय। परन्तु, जब तक कोई कानून उठ नहीं गया या बदल नहीं गया है, तब तक उसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

टैक्स देना—इस पुस्तक के पहले भाग में तुम पढ़ चुके हो कि सरकार ने देश भर में प्रजा की भलाई के लिए जो हजारों स्कूल, अस्पताल, न्यायालय आदि खोल रखे हैं। उन्हें चलाने के

लिए सरकार को बहुतसे पैसे चाहिए। वे पैसे सरकार यहीं से वसूल करती है और प्रजा की भलाई के कामों में खर्च करती है। गर्मी के दिनों में तुमने देखा होगा कि तालाब, नदी आदि का पानी भाफ बनकर उड़ जाता है और इसी भाफ से बादल बनते हैं। फिर बरसात में यही बादल पानी बरसाते और खेत, नदी, तालाब आदि को पानी से भर देते हैं। इसी प्रकार सरकार भिन्न-भिन्न टैक्सों के रूप मे प्रजा से पैसे वसूल करती है और प्रजा की भलाई के कामों में उसे खर्च करती है। इसलिए सरकार या सरकार के कानून द्वारा स्थापित की गई संस्थाएँ जो टैक्स नियत करें उसे समय पर पटाना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

खण्ड ५

पंचायती प्रबन्ध

पाठ १८

शहरों का पंचायती प्रबन्ध

बालको, पिछले पाठ में तुम पढ़ चुके हो कि शहरों और गाँवों में सरकार जनता की भलाई के क्या कार्य करती है। इस पर से यह न समझ लेना चाहिये कि जनता की भलाई के जितने काम हैं उन सबको सरकार ही करती है। नहीं, सरकार ने कई कामों को कार्पोरेशन, म्युनिसिपैलटी, जनपद आदि संस्थाओं के हाथ में सौंप दिया है। इन सस्थाओं में जनता द्वारा चुने हुए लोग (प्रतिनिधि) काम करते हैं। सरकार की इच्छा है कि इन कामों को करते हुए यहाँ की जनता अपने देश का प्रबन्ध अपने हाथ से करना सीखे।

कारपोरेशन (निगम)

बड़े शहरों में सरकार ने यह काम कार्पोरेशनों को सौंपा है। जिस नगर की आबादी ५००० या इससे अधिक हो वहाँ म्युनिसिपल कमेटी स्थापित की जा सकती है। ५००० से कम की आबादी की कुछ बस्तियों में सरकार की स्वीकृति से कुछ नोटीफाइड एरिया कमेटी थीं। अब इन्हें भी म्युनिसिपल की संज्ञा दे दी गई है। शहरों की सफाई रखना, अस्पताल खोलना, बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करना आदि म्युनिसिपल कमेटी के सुपुर्द किये गये हैं। पहले ये कमेटियाँ कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े-बड़े

शहरों में स्थापित हुई थीं; पर लोगों ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। वे शायद समझते थे कि यह काम सरकार का है, हमारा नहीं। पहले इनमें सरकार का बहुत हाथ था। पर अब इन संस्थाओं में जन-प्रतिनिधियों को कार्य करने के लिए व्यापक क्षेत्र है। मध्यप्रदेश में नागपुर और जबलपुर में कार्पोरेशन स्थापित होंगे। कार्पोरेशन के अंतर्गत वही कार्य होंगे जो म्युनिसिपैलटी अपने क्षेत्र में करती है। परन्तु कार्पोरेशन का कार्य-क्षेत्र म्युनिसिपैलिटी से बड़ा होने के कारण नगर के विकास और पुनरनिर्माण संबन्धी उनके अधिकार म्युनिसिपैलटी से अधिक हैं।

म्युनिसिपैलिटी (नगर पालिका)

सरकार ने हरएक म्युनिसिपैलटी के लिये एक सीमा निश्चित कर दी है। उस सीमा के भीतर ही म्युनिसिपैलटी अपना काम करती है। इस सीमा के भीतर रहने वालों से म्युनिसिपैलटी कुछ हल्का-सा कर (महसूल) वसूल करती है और उससे अपना खर्च चलाती है। इस कर को अँग्रेजी में 'रेट' कहते हैं। और जो लोग यह 'रेट' देते हैं वे 'रेट-पेयर' (या कर-दाता) कहलाते हैं। पहले कर-दाताओं को ही वोट (मत) देने का अधिकार था। अब नवीन विधान के अनुसार प्रत्येक बालिग को मत देने का अधिकार है। बालिग मत-दाताओं को अपनी म्युनिसिपैलटी के लिये मेम्बर (सदस्य) चुनने का अधिकार है। यह चुनाव हर पाँच साल में हुआ 'करता है। बालिग होने के लिये २१ वर्ष की आयु आवश्यक है। बालिग मतदाताओं

द्वारा चुने हुए मेम्बरों को मिलाकर म्युनिसिपल कमेटी बनती है। मध्य-प्रदेश में मत-दाता लोग ही अपना प्रेसीडेन्ट (सभापति) चुनते हैं। यह सभापति पाँच साल के लिए चुना जाता है। म्युनिसिपल के मेम्बर "म्युनिसिपल कमिश्नर" कहलाते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर होना प्रतिष्ठा की बात समझी जाती है। पढ़े-लिखे लोगों को, जो जनता का काम करने की इच्छा और रुचि रखते हों और इस काम के लिए कुछ समय दे सकते हों, म्युनिसिपैलटी के मेम्बर बनना चाहिए, और मत-दाताओं को भी चाहिये कि वे ऐसे ही लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाकर म्युनिसिपैलटी में भेजें।

म्युनिसिपैलटी के कौन-कौन से काम हैं, इसका कुछ उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इन कामों में कौन-कौन से काम शामिल हैं, वे भी तुम्हें जानना चाहिए, इसलिये वे नीचे लिखे जाते हैं:—

(१) सड़कें बनवाना और उनकी मरम्मत कराना।

(२) यात्रियों के सुभीते के लिए सराय बनाना।

(३) बच्चों की प्रारम्भिक-शिक्षा के लिए स्कूल आदि खोलना।

(४) खाने-पीने की चीज़ों की देख-रेख करना ताकि दूषित चीज़ें (जैसे मिलावटी घी, तेल या दूध, सड़े फल आदि) न बिक सकें तथा ऐसी चीज़ें बेचने वालों को दण्ड देना।

(५) पीने के लिए स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करना।

(६) सड़कों, गलियों, कूचों आदि की सफ़ाई रखना।

(७) नाली बनाकर मैले पानी को शहर के बाहर निकालना।

(८) सड़कों, गलियों आदि में रोशनी का प्रबन्ध करना।

(९) दवा दारू के लिए अस्पताल और दवाखाने खोलना।

(१०) छुतही बीमारियों (जैसे, प्लेग, चेचक आदि) को रोकने के लिए टीका लगाने का प्रबन्ध करना और ये बीमारियाँ हो जाने पर दवा-दारू का विशेष प्रबन्ध करना।

इन सब कामों को करने के लिए म्युनिसिपैलिटी के पास बहुत पैसा होना चाहिए; क्योंकि बिना पैसे के तो कोई भी काम नहीं हो सकता। म्युनिसिपैलिटी की आमदनी के ज़रिये ये हैं:—

(१) पानी, रोशनी, बाज़ार, पायखाने, कसाइखाने आदि पर कर।

(२) म्युनिसिपल स्कूलों की फ़ीस।

(३) इक्का, गाड़ी, साइकिल, मोटर पुल आदि पर कर।

(४) ढोरों का महसूल।

कई प्रान्तों में म्युनिसिपल सीमा के भीतर आने-जाने वाली चीज़ों पर तथा मकान और ज़मीन आदि पर भी महसूल लगाया जाता है। इसी प्रकार म्युनिसिपल की आमदनी के दो-चार ज़रिये और हैं। नालियाँ बनवाने, शहर में नल का प्रबन्ध करने, अस्पताल या स्कूल खोलने आदि बड़े-बड़े कामों के लिए

सरकार से भी सहायता मिलती है। म्युनिसिपैलटी यदि चाहे तो, इन कामों के लिए सरकार से या महाजनों से भी कर्ज़ ले सकती है। पर अधिकतर कर्ज़ सरकार से ही मिलता है।

म्युनिसिपैलटी के कामों पर सरकार की निगरानी रहती है; और यदि म्युनिसिपैलटी अपना काम ठीक रीति से न कर सके, तो सरकार उसे तोड़कर उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है। पर, ऐसा मौका बहुत ही कम आता है। ज्यों-ज्यों शिक्षा का प्रचार बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों लोग इस काम को अधिक उत्साह के साथ करने लगे हैं। देश के शासन-प्रबन्ध की बड़ी ज़िम्मेदारियों को सँभालने के लिए म्युनिसिपैलटी जैसी स्वायत्त-शासन-संस्थाएँ अनुभव प्राप्ति के लिये विद्यालय जैसी हैं। सरकार भी लोगों को अपने देश का प्रबन्ध अपने हाथ से करने के लिए अधिक मौके देना चाहती है, और दिया भी करती है।

पाठ १६

गाँवों का पंचायती प्रबन्ध

जनपद

बालको, तुम गाँव में रहते हो या शहर में? शहरों और गाँवों में सरकार, किस ढंग से शासन करती है, यह तुम जान चुके हो। शहरों में म्युनिसिपल कमेटियाँ जो काम करती हैं, उसका भी हाल तुम्हें पिछले पाठ में बता दिया गया है। अब

इस पाठ में तुम्हें बताया जायगा कि गाँवों में पंचायती प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है।

अपने देश में शहरों में जितने लोग रहते हैं उनसे कई गुने अधिक लोग गाँवों में रहते हैं और खेती करके अपना निर्वाह करते हैं। यदि सच पूछा जाय तो अपना देश किसानों का ही देश है। मुंशी और अमले, बाबू और चपरासी, साहब और क्लर्क महाजन और व्यापारी—ये बहुत थोड़े हैं और अधिकतर शहरों में रहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व जो मर्दुमशुमारी हुई थी उससे पता चला था कि १०० आदमियों में से ८९ देहातों में और केवल ११ शहरों में निवास करते हैं। इसलिए अपने देश में गाँवों का महत्व बहुत अधिक है; और देश का सुधार करने के लिये गाँवों का सुधार करना बहुत जरूरी है।

शहरों में जो काम म्युनिसिपल कमेटियाँ करती हैं देहातों में वही काम पहले डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और लोकल बोर्ड करते थे। मध्यप्रदेश में इनके स्थान में जनपद-व्यवस्था हुई है। जनपद का कार्य-क्षेत्र तहसील है। जनपद शहराती और देहाती सर्किलों (मण्डलों) में विभाजित है। म्युनिसिपल क्षेत्र शहराती सर्किल है। चुनाव के लिए शहराती और देहाती सर्किल चुनाव-क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है।

जनपद के दो अंग हैं—(१) सभा और (२) चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव आफ़ीसर (प्रधान-अधिशासी-पदधारी)। चुनाव क्षेत्रों में चुने गये सदस्यों की सभा बनती है। सभा अपनी पहली

बैठक में अपना चेयरमैन (अध्यक्ष) और डिप्टी चेयरमैन (उपाध्यक्ष) चुनती है। सभा निम्न-लिखित उपसमितियाँ बनाती है।

(१) अर्थ समिति। (२) लोक-कर्म समिति। (३) स्वास्थ्य समिति। (४) शिक्षा समिति। (५) कृषि समिति। (६) विकास समिति।

प्रत्येक समिति अपना अध्यक्ष चुन लेती है।

सभा के चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव आफीसर (प्रधान-अधिशासी-पदधारी) की नियुक्ति प्रान्तीय सरकार करती है। प्रांतीय सरकार डिप्टी चीफ़-एक्ज़ीक्यूटिव आफ़ीसर (उपप्रधान-अधिशासी-पदधारी) भी नियुक्त कर सकती है।

सभा के निम्न लिखित कार्य हैं—

(१) स्कूलों की स्थापना, संचालन और निरीक्षण करना।

(२) ग्राम-सुधार।

(३) सार्वजनिक कुओं, तालाबों का निर्माण और जल-व्यवस्था करना। पीने और नहाने के लिये शुद्ध जल का प्रबन्ध करना।

(४) अस्पताल और औषधालयों की स्थापना और संचालन करना।

(५) टीका लगाने और स्वास्थ्य संबंधी कानूनों की पूर्ति का प्रबन्ध करना।

(६) मवेशी-अस्पताल और पशु-सुधार का प्रबंध करना।

(७) बाज़ार, विश्रामालय (रेस्टहाउस) सराय की स्थापना करना।

(८) तौल और माप का निरीक्षण करना।

(९) सड़कें बनवाना और उन्हें सुधारना।

(१०) नाव और पुल की व्यवस्था करना।

(११) सवारियों के यातायात पर नियंत्रण रखना।

(१२) जंगली जानवरों को नाश करना।

(१३) कांजीहौस की व्यवस्था करना।

(१४) मेलों और प्रदर्शनियों का प्रबन्ध करना।

(१५) अकाल पड़ने पर लोगों की सहायता के लिये सड़क, तालाब आदि का काम खोलना।

अब देखना चाहिये कि ऊपर लिखे कामों को चलाने के लिये इस संस्था की आमदनी कहाँ से होती है।

(१) लगान पर प्रति रुपया डेढ़ आना या जितना निश्चय किया जाय उतना महसूल (अब्वाब) वसूल किया जाता है। जनपद की यही सबसे बड़ी आमदनी है।

(२) नदी, तालाब, घाट, सड़क, बाजार आदि पर महसूल।

(३) सरकारी सहायता खास-खास कामों के लिये।

सभा का कार्य विचार-विमर्श करना तथा प्रस्ताव स्वीकृत करना है। चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव आफ़ीसर सभी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है। तथा उनसे निर्धारित कार्यों की पूर्ति कराता है। उसे सभा के हित में कार्य करने के विशेष अधिकार भी हैं।

जनपद सभा को अपने क्षेत्र की ग्राम-पंचायतों के कार्य का सामान्य निरीक्षण करने का अधिकार है। सभा दो तिहाई मत से ग्राम पंचायत के किसी निर्णय को परिवर्तित कर सकती है।

सभा एक्ज़ीक्यूटिव अफ़सर द्वारा जनपद क्षेत्र की म्युनिसिपैलटी के कार्य पर निगरानी रखती है।

ग्राम–पंचायत

तहसील में जनपद सभा का प्रबन्ध चलता ही है; साथ ही गाँवों के प्रबंध के लिए ग्राम-पंचायतों की व्यवस्था है। नये कानून के अनुसार पहले एक हज़ार से अधिक आबादी के प्रत्येक ग्राम में ग्राम-पंचायत स्थापित की गई थी। अब ५०० की आबादी के ग्राम-पंचायत में कम-से-कम पाँच तथा अधिक से अधिक १५ पंच रहेंगे। प्रत्येक मुहल्ले से एक पंच का चुनाव होगा। मुहल्ले के बालिग मत-दाता पंच का चुनाव करेंगे। जो बालिग अदालत द्वारा दण्डित पागल ठहरा दिया गया है वह मत-दाता नहीं हो सकता। जिस मत-दाता ने पंचायत द्वारा लगाया गया कर न चुकाया होगा वह भी मत-दान नहीं कर सकता। एक मत-दाता एक ही मुहल्ले के चुनाव में मत-दान कर सकता है।

पंचायत के पंच पहली बैठक में सरपंच और उप सरपंच का चुनाव करते हैं। पंचायत कार्य-विभाजन की दृष्टि से उप-समितियाँ बना सकती हैं। ये समितियाँ पंचायत द्वारा सौंपे गये कार्य करती हैं।

ग्राम पंचायत के निम्न-लिखित कार्य हैं:—

(१) ग्राम की सफाई करना।

(२) प्राथमिक चिकित्सा और रोग निवारण।

(३) शुद्ध पानी का प्रबन्ध करना।

(४) जन्म, मृत्यु और विवाहों का लेखा करना।

(५) बाल-विवाह (शारदा एक्ट) संबंधी शिकायतें करना।

(६) पंचायत की इमारतों की मरम्मत करना।

(७) छूत की बीमारियों की रोक-थाम करना।

(८) ग्राम सड़कें बनाना और सुधारना।

(९) जगहों और सार्वजनिक स्थानों को दबा लेने की शिकायतें करना।

(१०) गड्ढों, खाली कुओं आदि को पूरना।

(११) हाट की व्यवस्था करना।

प्रान्तीय सरकार की आज्ञा प्राप्त कर वे सब कार्य करना जो जनपद के कार्य-क्षेत्र में हैं।

ग्राम-पंचायत की आमदनी के मुख्य जरिये ये हैं:—लगान पर दो पैसा प्रति रुपया महसूल वसूल करना। सम्पत्ति के मूल्या-नुसार कर लगाना। खरीददार, दलाल, नापने का पेशा करने वालों पर कर लगाना। बाज़ार में मवेशियों की बिक्री को दर्ज करने का महसूल वसूल करना। प्रकाश, पैखाना आदि पर कर लगाना।

यदि ग्राम पंचायतों को लगान वसूली का कार्य सौंपा गया तो उन्हें कुल वसूली का दस प्रतिशत देने का विचार चल रहा है।

न्याय-पंचायत

यह 'पंचायत' की प्रथा अपने देश में बहुत समय से चली आ रही है। पहले कुटुम्ब की पंचायत रहती थी जो कौटुम्बिक झगड़ों का निपटारा करती थी। जाति के झगड़ों का फैसला करने के लिये गाँव की पंचायत रहती थी। अपने देश में अँग्रेज़ी अमलदारी होने तथा अदालतें, पुलिस आदि के स्थापित हो जाने से ये पंचायतें बहुत गिर गई थीं। अब पंचायतों को नये रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है।

ग्राम-पंचायतों के प्रत्येक मण्डल ने एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की है। न्याय पंचायत को सरकार ने फौजदारी और दीवानी के सीमित अधिकार दिये हैं। प्रत्येक न्याय-पंचायत में कम-से-कम पाँच सदस्य होंगे। मण्डल की ग्राम पंचायतों के सदस्यों में से सरकार पंचायत के सदस्य चुनती है। प्रत्येक न्याय पंचायत का एक उपसरपंच भी होता है। इसकी नामजदगी सर-पंच करता है।

न्याय पचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष है। न्याय-पंचायत का कार्य तीन पंचों की उपस्थिति में प्रारंभ हो जा सकता है।

न्याय-पंचायतों को निम्नलिखित मामलों के फैसले करने का अधिकार है:—

झगड़ा करना, किसी स्थान पर उपस्थित होने की क़ानूनी आज्ञा का उल्लंघन करना, सरकारी कर्मचारियों की आज्ञानुसार शपथ ग्रहण करने से इन्कार करना, छूत की बीमारी फैलाने वाले कार्य, पीने पानी का गँदला करना, अंधाधुन्ध सवारी दौड़ाना, किसी व्यक्ति को संकट, रुकावट या क्षति पहुँचाना। पालतू जानवरों को नियंत्रण में न रखना। गंदे कार्य और गाने। किसी व्यक्ति को अनधिकार पूर्वक रोकना, मारपीट, बेगार, २५) तक की चोरी, चोरी का माल खरीदना, मान-हानि, धमकी, सिंचाई के जल का दुरुपयोग, जुआ आदि। न्याय पंचायत को १००) तक के दीवानी मामले करने का अधिकार है। फ़ौजदारी मामलों में ५०) तक जुर्माना करने का अधिकार है।

सरकार ने शहरी न्याय-पंचायतें भी गठित की हैं। इन्हें अधिक अधिकार दिये गये हैं। देहाती न्याय-पंचायतों में वकीलों को पैरवी करने की अनुमति नहीं है।

॥ इति ॥

शिक्षाक्रम के अनुसार

अनुकूल नवीन प्रकाशन

इस वर्ष माध्यमिक शालाओं के पाठ्यक्रम में बहुत परिवर्तन कर दिये गये हैं। प्रस्तुत पुस्तकें नवीन पाठ्यक्रम को आधार मानकर लिखी गई हैं।

सामान्य विज्ञान

विज्ञान-सोपान —लेखक—श्री० श्रीपाद विष्णु कानडे
(भाग १, २, ३ और ४) बी० एस० सी०, बी० टी०

सामान्य भूगोल

सरल-भू ज्ञान लेखक—श्री० उत्तमसिंह, तोमर
(भाग १, २, ३ और ४) बी० ए०, बी० टी, टी० डी०

नागरिक शास्त्र

बालनागरिकता (कक्षा पाँचवीं के लिए)
सरल राज्य शासन भाग १, २, ३ लेखक—पं० नर्म्मदाप्रसाद मिश्र
(नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार) बी० ए०, साहित्य शास्त्री

हिन्दी व्याकरण

सरल हिन्दी व्याकरण और रचना लेखक—पं० शालग्राम द्विवेदी
(भाग १, २, ३ और ४) एम० ए०

इतिहास

इतिहास की सरल कहानियाँ —लेखक—पं०नर्मदाप्रसाद मिश्र
(नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार २० कहानियाँ) बी०ए०, साहित्य शास्त्री

नोट:—इन पुस्तकों के सम्बन्ध में और विशेष जानकारी के लिए हमारा सूचीपत्र 'हमारे नवीन प्रकाशन' मँगाइये। यह बिना मूल्य आपकी सेवा में भेजा जायगा।